हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 17

अधिकृत विवरण

विशय सूची

शुक्रवार, 21 मार्च, 1980

		पृश्ठ संख्या
	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(17)1
	नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(17)21
	अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(17)24
	अध्यक्ष द्वारा रूलिंग –	
	सदन में धरनपा देने संबंधी	(17)27
	सर्वश्री गंगा राम तथा संत कंवर को रेप्रिमांड करने संबंधि प्रस्ताव	(17)32
	वाक आउट	(17)36
	सर्व श्री गंगा राम तथा संत श्री कंवर को रेप्रिमांड करने संबंधी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(17)36
	वाक आउट	(17)37
	रूल 104 का निलम्बन और सर्वश्री गंगा राम तथा संत कंवर का निलम्बन	(17)37
	ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस वापिस लेना	(17)39

	ध्यानाकर्शण सूचना –	
(i)	वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार करने संबंधी	(17)39
(ii)	डालमिया सीमेंट फैक्टरी, चरखी दादरी को बन्द करने संबंधी	(17)41
	बैठक का निलम्बन	(17)41
	ध्यानाकर्शण सूचना –	
	राज्य में चारे की कमी संबंधी	(17)45
	वक्तव्य –	
(i)	परिवहन मंत्री द्वारा अन्धे व्यक्तियों की रोजगार तथा शिक्षा में विशेश सुविधाएं देने संबंधी	(17)46
(ii)	मुख्यमंत्री द्वारा रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण संबंधी	(17)48
	वाक आउट	(17)50
	मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(17)51
	नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(17)53
	कमेटी आन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 11 वीं रिपोर्ट पेश करना	(17)53
	सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(17)53

	बिल्ज –	
	दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)53
	दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)54
	दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)55
	दि पंजाब कोआप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैंकस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)56
	दि पंजाब खादी एंड विलेज इडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)58
	दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाऊंसिज एण्ड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, 1980	(17)59
	दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, 1980	(17)60
	दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाऊंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(17)61
	नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(17)62

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 21 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबार, अब सवाल होंगे।

Complaint regarding embezzlement in the Haryana Apex Handloom Society, Panipat

***1660. Sh. Mool Chand Jain**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state –

(a) whether any complaint regarding embezzlement in the Haryana Apex Handloom Society, Panipat was received during the month of September, 1978; if so, action taken thereon;

(b) whether the Government has ordered special audit of the aforesaid Society; if so, the result thereof and action taken thereon;

(c) whether any inquiry has been conducted into the conduct of the member of the said Scoiety; if so, the name of the Inquiry Officer; and

(d) whether any inquiry report has been received; if so, the copy of the same be laid on the Table of the House togetherwith the action; if any, taken thereon?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) हां। समिति का विशेश आडिट विभाग द्वारा करवाया गया तथा जांच भी करवाई गई। फलस्वरूप सोसाईटी की कमेटी को हटा दिया गया।

(ख) हां। आडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 की धारा 54(1) के अधीन समिति के सदस्यों के कन्डक्ट की जांच करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे।

(ग) हां। जैसा कि ऊपर (ख) में बताया जा चुका है जांच के आदेश जारी कर दिये थे तथा श्री जय सिंह वर्मा उप–रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(घ) हां। जांच रिपोर्ट निरीक्षणाधीन है किन्तु इस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर इस समय रखना लोक हित में नहीं होगा।

श्री मूल चन्द जैन: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह इन्कवायरी आफिसर कब अप्वांयट हुआ और उसकी रिपोर्ट कब सरकार के पास आई?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, 1.1.1978 से लेकर 31.1.1978 तक इस सोसायटी का आडिट होता रहा और उसकी रिपोर्ट 17.10.1978 को हमारे पास आयी और 20.1.79 को यह कमेटी तोड़ दी गई।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'बी' में कहा हैकि 'हां'। आडिट रिपोर्ट में बतायी गयी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए पंजाबी सहकारी समितियां अधिनियम 1961 की धारा 54 (1) के अधीन समिति के सदस्यों के कन्डक्ट की जांच करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या–क्या अनियमितताएं उस रिपोर्ट में थीं, और इन्होंने साथ में जो यह कहा कि रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखना पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी बात है?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं मोटे तौर पर पढ़ कर सुना देता हूं क्योंकि सारा पढ़ने में काफी समय लगेगा। बड़ी रकम जो है वह ज्यादातर परचेज से सम्बन्धित है। मेरठ से 74347 रूपये का कपड़ा खरीदा गया। वह कपड़ा इस किस्म का था, जो पहले ही मार्किट में अवेलेबल था। उसमें से केवल पांच हजार रू. का कपड़ा बिका और बाकी का सारा स्टाक में पड़ा रहा। उस वक्त परचेज करने के लिये एक सब–कमेटी बनाई गई थी और इस सारा काम रूल्ज के अगेन्सट हुआ था जिसकी वजह से आने–जाने के लिये काफी रकम, भत्ते के तौर पर दी गई। इस प्रकार की अनियमितताएं होती रही हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जो इंकवायरी रिपोर्ट है, वह कितने दिनों से पैडिंग है, उस रिपोर्ट के मिलने के बाद सरकार ने उस पर क्या ऐक्शन लिया है और इस सोसायटी के चेयरमैन कौन थे?

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, इसके साथ साथ यह भी बता दें कि उन चेयरमैन को किस ने अप्वायंट किया था?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, उसके चेयरमैन का नाम था श्री प्रीतम सिंह। उनको चौ. देवीलाल जी के टाइम पर अप्वांयट किया गया था। उनका कोई कसू नहीं था। उन्होंने तो खुद दरखास्त लिखकर दी थी कि इसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जांच करवाई जाए यह इंक्वायरी उनकी रिपोर्ट पर ही करवायी गई है।

Mr. Speaker: It has been stated that the person appointed as Chairman is not be blamed.

श्री फतेह चन्द विंज: स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं .....

Mr. Speaker: The question is being answered by the Minister. He is answering very well.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मैंने इसलिये मुख्यमंत्री कहा है कि इनको जाति तौर पर इस बारे में ज्ञान है। जब चेयरमैन की दरखास्त इनके पास आइ उस समय चौ. भजन

लाल जी कोआप्रेशन मंत्री थे और तब से 5–10 लाख रूपये का इस सोसायटी में नुक्सान चला आ रहा है, क्या सरकार इसकी इंक्ववायरी करवाने का विचार रखती है?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, प्रीतम सिंह जो हैं, ये बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं और इनको चौ. देवी लाल जी ने अप्वांयट किय था। इस बारे में अगर किसी महानुभाव की शिकायत मेरे पास आएगी और किसी ने कोई घोटाला किया होगा तो सरकार जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेगी।

श्री अध्यक्ष: साहेबार, जहां तक मैं समझता हूं यहां पर कोई गबन की बात नहीं हो रही है। यहां तो केवल एक व्यक्ति की बात है।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि यहां पर प्रीतम सिंह का नाम लेकर कहा गया कि 5–10 लाख रूपये का गबन है। जो इंक्वायरी हमने करवायी है, उसके अनुसार हमें एक पैसा भी प्रीतम सिंह जी से सम्बन्धित नही मिला है, जिसका उन्होंने दुरूपयोग किया हो या उन्होंने ऐक्सैस लिया ही बल्कि 12.9.78 को श्री प्रीतम सिंह जी ने सरकार के एक पत्र लिखा जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। वह पत्र उन्होंने सहकारिता मंत्री, हरियाणा, चण्डीगढ़ को लिखा है। ''सेवा में निवेदन है कि मैंने 16.8.78 को हरियाणा एपेक्स हैन्ड लूम सोसायटी, पानीपत के चेयरमैन का पद सम्भाला है। पद सम्भालने के बाद, देखभाल करने पर मुझे ऐसा

मालूम हुआ है कि इस संस्था में बड़े स्तर पर और काफी रकम का गबन और हेराफेरी हुई है, जिसकी रकम लाखों में बनती है और हर स्फीयर में ढेर सी गल्तियां पाई गई हैं और सभी एक्टस में रूल्ज वगैरह की अवहेलना की हुई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस संस्था के बारे में किसी उच्च अधिकारी से इंक्वायरी करवाई जाए और इस पैसे की रिकवरी करवाई जाए और इस सोसायटी को तोड़ दिया जाए''। यह उनकी खुद की सुजैशंज हैं, और उन्हीं के लिखने पर सरकार ने यह इंक्वायरी करवाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका इस पैसे से बिल्कुल भी कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा के अन्दर और विशेशकर पानीपत के अन्दर छोटी–छोटी यूनिटस हैं तो फिर इनको छोड़कर यू.पी. के कपड़ा क्यों खरीदा गया? यह सब कुछ रूल्ज की उल्लंघना करने किया गया, जिसके कारण जो बड़े अधिकारी थे, उनको काफी रकम भत्ते के तौर पर दी गई। मैं आजकल उस बाडी का चैयरमैन हूं। मैंने आजतक 6 महीनों में केवल 135 रूपये टी.ए., डी.ए. लिया है। यह सारी जिम्मेवारी खरीदने वाले अधिकारियों की बनती है, इसमें लाखों का गबन है, क्या सरकार इसकी इन्कवायरी करवाने का विचार रखती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह दरूस्त है कि श्री देवी दास जी आजकल इसके चैयरमैन है। पहले श्री प्रीतम सिंह जी हुआ करते थे जिनको चौ. देवी लाल जी ने अप्वायंट किया था। जैसे इन्होंने अभी कहा है कि सरकार को यू.पी. की

बजाए पानीपत की छोटी–छोटी यूनिटस से माल लेना चाहिए था। ये चेयरमैन है मैं इनको कहूंगा कि अब ये उदारता दिखाएं और इस तरीके में सुधार लाएं। डा. मंगल सैन जी ने इनको अप्वायंट करवाया था और हमारी उदारता है कि हमने इन्हें अभी भी चेयरमैन रखा हुआ है क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं।

श्री मूल चन्द जैन: मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस सोसाइटी के पहले चेयरमैन चौ. प्रीमत सिंह थे और अब हमारे माननीय साथी श्री देवी दास जी हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह भी बताएंगे कि इसके और मैम्बर कौन कौन थे?

ठाकुर बीर सिंह: जब यह सोसायटी तोड़ी गई थी उस वक्त इसके 11 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. Sh. Parkash Chand Bajaj, Bajaj Handloom Production-cum-scale Industrial Society Ltd., Panipat.

2. Sh. Mangal Dass Bhambri, Textile Cooperative Industrial Society Ltd., Panipat.

3. Sh. Chaman Lal Mehrana, Mehrana Texlike Cooperative Industrial Society Ltd, Panipat.

4. Sh. Suraj Bhan Jina, Indian Weavers Production Cooperative Industrial Society Ltd. Hansi.

5. Sh. Rameshwar Dayal S/o Sh. Brahma Nand, Durga, Handloom Cooperative Industrial Society Ltd. Panipat.

6. Sh. Rai Chand Jain, Adarsh Weavers Production Coop. Industrial Society Ltd. Sadar Bazar, Hansi.

7. Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Charan Dass Mehta, Handloom Cooperative Industrial Society Ltd., Hansi.

8. Deputy Register (Industrial), Cooperative Societies Haryana, Chandigarh.

9. Sh. Jodha Ram, Prop. Himachal Handloom, Panipat.

10. Sh. Hai Chand, Ashoka Handloom Cooperative Industrial Society Ltd, Panipat.

11. Sh. Pritam Singh, Village & Post office Sihi, Tehsil Ballabhgarh Chairman of the Society.

श्री अध्यक्ष: वैसे श्री देवी दास ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था लेकिन उसका तसल्ली वख्श जवाब नहीं आया है। उन्होंने पूछा था कि जब हरियाणा के अन्दर छोटी छोटी इतनी यूनिटस हैं तो यू.पी. के कपड़ा क्यों खरीदा जाता है, यह प्रैक्टिस बन्द होगी यह नहीं?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, हमारी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसको इर–रैगुलैरिटी कह लीजिए, उसकी वजह से वह माल खरीदा गया था। वह माल पड़ा हुआ है जिसने वह माल खरीदा था उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जो हमारी सोसायटीज हैं हम उनसे ही माल खरीदें। इसलिये हमारे रूल्ज में ऐसी

कोई बात नहीं है कि हम बाहर से माल खरीदें। जो माल पहले खरीदा गया वह गैर–कानूनी खरीदा गया।

चौ. राजेन्द्र सिंह: जैसे अभी हमारी माननीय सदस्य श्री फतेह चन्द विज और श्री देवी दास जी ने सूचना दी है कि इस सोसायटी के अन्दर लाखों रूपये की एम्बैजलमैंट हुई है। जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनका यह भी कहना है कि इनसे पहले वाले सभी चैयरमैनों के टाइम में घपले–बाजी हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सीरियस मामले को विजीलैंस को सौंप कर जल्द से जल्द दोशी आदमी को सजा दी जाएगी?

ठाकुर बीर सिंह: जैसे मैंने अर्ज किया कि 9/78 में दर्खास्त आई थी और उस पर हमने कार्यवाही शुरू की। हमने सबसे पहले स्पैशल आडिट करवाया, फिर इन्कवायरी करवाई। सैक्शन 54 की क्लाज 1 के तहत इंडिविजुअल लाइएबलिटी फिक्स नहीं की थी, उसके लिये आगे कार्यवाही चल रही है।

I.A.S. & H.C.S. Coaching Centre for Harijan Candidates

***1588. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Chief Minister be pleased to state –

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start a Coaching Centre for Harijan candidates for the I.A.S. & H.C.S. examinations in the State; if so, the name of place where it is likely to be started; and

b) whether there is any proposal under consideration of the Governmnet to give stipend and Hostel facilities to the candidates referred to in part (a) above; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) आई.ए.एस. परीक्षा के लिए कोचिंग केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जिसमें एच.सी.एस. भी सम्मिलित हैं एक पूर्व परीक्षा कोचिंग केन्द्र कुरूक्षेत्र में खोलने बारे भारत सरकार से मामला टेक–अप करने का विचार कर रही है।

(ख) छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने का विवरण (ब्यौरा) भारत सरकार से उचित स्तर पर तय किया जाएगा।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि अभी विचार हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विचार कब तक मुकम्मल हो जाएगा और भारत सरकार के साथ ये कब बात करेंगे?

Mr. Speaker: I think, it is very difficult to give a specific date for these things. I do not think, it is a fair question.

चौ. भाग लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने जवाब में कहा कि सैंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। इन्होंने इसके बारे में जो केन्द्र को केस भेजा था क्या उसका कोई जवाब इनको मिला है?

चौ. भजन लाल: यह मामला केन्द्र के साथ टेक–अप किया हुआ है। भारत सरकार के साथ हम जल्द बात करेंगे कि यह केन्द्र हरियाणा में खोला जाए।

चौ. भाग लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात उनकी नालेज में है कि गांवों में कालेज न होने की वजह से जो हरिजन लड़के और लड़कियां शहरों में जाते हैं, उनको रहने की बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या सरकार हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर छात्रावास खोलेगी?

चौ. भजन लाल: यह आई.ए.एस. और एच.सी.एस. कोचिंग सैंटर्ज के बारे में सवाल है। जो दूसरे ट्रेनिंग सैन्टर हैं, वे हमारे तीन जगह चल रहे हैं। अम्बाला में, रोहतक में और भिवानी में। उनमें असिसटैंट तक की ट्रेनिंग दी जाती है।

चौ. रिजक राम: मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई प्राइवेट कालेज हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और दूसरे गरीब लड़को के लिए बिल्डिंग बना कर तथा और सुविधाएं देकर ऐसे सैंटर खोलना चाहे तो क्या सरकार उसको फाइनेशियल एंड देगी?

चौ. भजन लाल: ये जोनल केन्द्र होते हैं। इस किस्म का एक केन्द्र पटियाला में है और सारे देश के अन्दर ऐसे 7 केन्द्र हैं। हमने भारत सरकार को कहा है कि हरियाणा में भी ऐसा केन्द्र खोला जाए।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, जैसे चौ. रिजक राम जी ने पूछा कि अगर कोई समाज की सोसायटी अपनी बिल्डिंग बना कर दे दे ...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है।

चौ. पीर चन्द: क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एच.सी.एस. के अन्दर आज से दस साल पहले हरिजन लड़कों को 33 प्रतिशत नम्बर ले कर पास किया जाता था लेकिन अब यह परसेंटेज दूसरी श्रेणियों के साथ मिला दी गई है। तो क्या इसको फिर से 33 प्रतिशत किया जाएगा ताकि हरिजन लड़कों को भी एच.सी.एस. में रिप्रजैंटेशन मिल सके?

श्री अध्यक्ष: इसका मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है।

चौ. संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानाना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र को सिफारिश भेजी गई है, यह केवल हरिजन उम्मीदवारों के लिए ही भेजी गई है यह इसमें बैकवर्ड और गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय यह सिफारिश हमने हरिजनों के लिए लिख करके भेजी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी प्रोपोजल केवल हरिजनों के बारे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बैकवर्ड या दूसरी कम्यूनिटीज को भी एच.सी.एस. और आई.ए.एस. के लिए

ट्रेनिंग देने के लिए प्रपोज कर रहे हैं और क्या उनको स्टाईपैंड देकर सैंटर खोले जाएंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब ये केन्द्र खुलेंगे तो बैकवर्ड क्लासिज या जिनकी हालत खस्ता है उनके बारे भी विचार किया जाएगा।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, क्या मुख्यमंत्री जी की नालेज में यह बात है कि हरियाणा गवर्नमैंट की पहले एक प्रोपोजल थी कि चूंकि हरियाणा एजूकेशन के लिहाज से मोस्टली बैकवर्ड है। इसलिए गवर्नमैंट एक कोचिंग सैंटर तमाम नौजवानों के लिए खोले और उसमें प्रैफैन्स बैकवर्ड और हरिजनों को ज्यादा दी जाए, क्या ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पोसवाल साहब ने बहुत अच्छा विचार रखा है, इस पर सरकार विचार करेगी अगर फिजिबिल्टी होगी तो खोलने की कोशिश की जाएगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया से मामला टेक–अप किया जा रहा है। यह सैंटर खोलने में गवर्नमैंट आफ इंडिया की सैंकशन की क्या आवश्यकता है? दूसरे एच.सी.एस. का जहां तक ताल्लुक है, उनके लिए तो हम खुद ही सैंटर खोल सकते हैं। तीसरे जैसे चौ. रिजक राम जी ने सवाल पूछा कि अगर कोई प्राईवेट कालेज अपनी बिल्डिंग बनाकर तथा दूसरी सारी सहूलियत देकर

ऐसा सैंटर चलाना चाहे तो उसको ग्रांट देने में सरकार को क्या आपत्ति है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसका सारा खर्चा भारत सरकार देती है इसलिए भारत सरकार से पूछने की आवश्यकता है। प्रान्तीय सरकार इस पर विचार करेगी अगर हो सकता तो प्रान्त में इस किस्म के सैंटर्ज अपने खर्चे पर खोलने की कोशिश करेगी।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, जैंसे मुख्यमंत्री जी ने कुरूक्षेत्र के लिए बताया कि उन्होंने भारत सरकार को लिखा हुआ है, वह तो अलग मामला है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानाना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने स्तार पर कोई गाइडैंस सैंटर या कंस्लटेशन सैंटर, अपने आफिसरों को लगा कर खोलेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस पर भी विचार किया जाएगा।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी फरमाया कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से टेक–अप किया जाएगा और उधर फरमा रहे हैं कि हम उनसे खतोखिताब कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा जवाब सही है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने ठीक कहा है कि हम मामला भारत सरकार के टेक–अप कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को लिखा है और आगे भी लिखेंगे तथा बातचीत भी करेंगे कि मंजूरी जल्दी दी जाए।

Dr. Mangal Sein: I want a categorical answer from the Chief Minister.

Mr. Speaker: As I understand, what the Chief Minister has said is के मामला केन्द्रीय सरकार से टेक–अप किया जा रहा है और कोर्सपौंडैंस जारी है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखा भी है ओर हम मामला टेक–अप कर रहे हैं कि वह हमें मन्जूरी जल्दी दे।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी तारीख बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला कौन सी तारीख को टेक–अप किया गया था?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने पोसवाल साहब और चौ. बीरेन्द्र सिंह के सवाल के जवाब में फरमाया कि विचार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोई अन्दाजा बता सकते है कि कब तक इसके बारे में फैसला कर देंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डेट तो कोई निश्चित नहीं की जा सकती लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस पर विचार करके फैसला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं भी अपनी तरफ से यह जरूर कहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जैसे पंजाब में दशमेश

अकाडमी शुरू करने जा रहे हैं, जो शायद एक्स सर्विसमैन के लिए है। लेकिन हरियाणा का रिप्रेजैन्टेशन सैंट्रल सर्विसिज में ड्राप हो रहा है, खास कर आर्मी के अन्दर इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी मामला है और मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

J.B.T. Home Scienced

***1671. Sh. Hira Nand Arya**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of private recognised J.B.T. Home Science, Arts & Crafts Traning Centres in the State?

मुख्यमंत्री संसदीय सचिव (श्रीमती शान्ति देवी): जे.बी. टी. होम साईस जैसा कोई विशय नहीं है जोकि गैर–सरकारी संस्थाओ में पढ़ाया जा रहा हो। परन्तु 59 गैर–सरकारी ऐसे संस्थान हैं जिन्हें सत्र 1978–80 के लिए जे.बी.टी. होम क्रफट तथा आर्टस एण्ड क्राफटस टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाने के लिए मान्यता दी गई तथा 65 ऐसे संस्थाओं को सत्र 1979–81 के लिये इस विशय में मान्यता दी गई।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, सी.पी.एस. महोदया ने बताया कि पिछले साल 59 और इस साल 65 केन्द्र खोल दिए गए हैं। क्या इनके नोटिस में यह बात है कि ये संस्थाएं क्रपशन के अड्डे बन चुकी है? क्या इसके पास ऐसी कोई शिकायत आई है अगर आई है तो क्या एक्शन लिया?

श्रीमती शांति देवी: अध्यक्ष महोदय, जिस समय आर्य साहब स्वयं शिक्षा मंत्री थे, तो मैंने भी इनसे यही प्रश्न किया था कि शिक्षा विभाग का इसमें कोई दायित्व नहीं है क्योंकि यह उद्योग विभाग की ट्रेनिंग है .....

श्री अध्यक्ष: इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं मानता हूं कि उस वक्त भी इस संस्थाओं में इतने ही घपले चल रहे थे।

श्रीमती शांति देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि इनमें अनियमितताएं हैं और जिस वक्त मैं एम.एल.ए. थी तो मैंने तीन चार बार डा. साहब के नोटिस में यह बात मौखिक रूप से लाई थी। उसके बाद मैं सी.पी.एस. बनी और मैंने लिख करके भेजा कि ये संस्थाएं भ्रश्टाचार के अड्डे हैं, इन्हें बिना देरी के बन्द कर दिया जाए। मैं डा. साहब के जवाब का इंतजार करती रही कि शायद वे कोई जवाब दैंगे। उसके बाद इस मामले को हमने बड़ी बारीकी से एग्जामिन करवाया। हमारा विभाग इनको जे.बी.टी. के बराबर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और हमने निर्णय लिया है कि वर्तमान सत्र पूरा होने के बाद हम इनकी मान्यताओं को समाप्त कर देंगे।

आवाजें: इस कोर्स को बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता? (शोर)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने अश्योरेंस दी हेकि कोर्स बीच में बन्द नहीं किया जा सकता, जब यह खत्म होगा तो आगे के

लिए क्लासिज शुरू नहीं की जाएंगी, कोर्स बन्द कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं कि लोगों ने वहां पर अपने अड्डे खोल रहे थे, इन संस्थाओं को अपनी दुकानदारी बना रखा है, इसलिए हमने महसूस किया कि ज्यों ही 1980–81 का कोर्स खत्म होगा, नया कोर्स शुरू नहीं करेंगे।

चौ. हर स्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, सी.एस. साहब ने कहा कि कोर्सिज बन्द कर देंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि कोर्स बन्द करने की बजाय अगर रूल्ज में यह प्रोवीजन कर दिया जाए कि इन संस्थाओं की मैनेजमैंटस जो फण्ड वसूल करें, उसकी बाकायदा रसीद दें और उनके हिसाब किताब का बाकायदा आडिट हो?

चौ. भजन लाल: इसके भी कोई मायने नहीं होंगे, क्योंकि हर साल कम से कम 6 हजार लड़के ट्रेनिंग लेते हैं और सबको सर्विस दे नहीं पाते। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ती जा रही है। जब तक पहले वाले बच्चे नौकरी पर नहीं लग जाते तब तक आगे के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने अपने लिखित जवाब में बताया कि 1979–80 और 1980–81 तक 65 संस्थाओं का मान्यता दी गई है। इसके साथ ही सदन में यह आश्वासन भी दिया कि 1981 के बाद इन

संस्थाओं में कोर्सिज को बन्द कर दिया जाएगा। मैं मुख्य संसदीय सचित महोदया से जानना चाहती हूं कि क्या 1980–81 के दूसरे वर्श (सैकंड ईयर) का कोर्स चलेगा?

श्रीमती शांति देवी: दूसरे वर्श का कोर्स इस स्टेज पर बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि एक वर्श का कोर्स कम्पलीट हो चुका है। दूसरे वर्श का कोर्स बन्द करना मुश्किल है लेकिन भविश्य के लिए बन्द कर दिया जाएगा।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक सवाल है .....(व्यवधान)

Mr. Speaker: She has answered that no new course is bing started.

चौ. ईश्वर सिंह: क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताएंगी कि 1980–81 के लिए जो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, वे कहां कहां खोले गये है?

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमेंटरी सवाल नहीं बनता।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, पिछले साल के बजट सैशन में मैंने मुख्य मंत्री से सवाल पूछा था और वह रिकार्ड पर भी होगा कि बोहर में एक इस प्रकार का कालेज है, जब वहां दाखले होते हैं तो एक बच्चे के कम से कम पांच–पांच हजार रूपये खुल जाते हैं और बगैर रसीद दिए पैसा वसूल किया जाता है। बच्चे टूमें वगैरह बेच कर दाखला लेने

की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इस भ्रश्ट तरीके को बन्द करने पर विचार करेगी?

चौ. भजन लाल: मैंने बन्द करने के लिए पहले ही कह दिया है।

श्री भले राम: क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि इन प्राईवेट इंस्टीच्यूशन्ज में कोई केस हुआ है, कोई घटना घटी है, अगर घटी है तो इसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट क्या है?

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमैंटरी क्वैश्चन नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि किसी लड़की वगैरह की कोई घटना घटी है और घटी है तो क्या फैसला हुआ है? (व्यवधान) मेरा सवाल यह है कि ..... (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवेश: क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बतायेंगी कि इन 65 संस्थाओं में आर.एस.एस. द्वारा संचालित संस्थायें कितनी हैं? (व्यवधान)

Mr. Speaker: Swami Ji, please sit down. This is not a question and I disallow it.

Steam Coal

***1601. Dr. Mangal Sein**: Will the Minister for Indsutries be pleased to state the month-wise quantity of Steam Coal received in the State during the period from 1978-79 to 1979-80 to-date together with its monthwise

quota fixed by the Union Government for the State during the same period?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): वर्श 1978–79 तथा 1979–80 के फरवरी मास तक कोयले की गाड़ियों की मासिक प्राप्ति का विवरण अनुबन्ध 'ए' में दर्शित है, जिसे सदन के पटल पर रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार/रेलवे द्वारा वर्श 1978–79 तथा 1979–80 में 1400 गाड़ियों स्टीम कोल प्रति मास का कोटा निर्धारित किया गया है।

अनुबन्ध 'ए'

वर्श 1978–79 तथा 1979–80 में स्टीम कोल गाड़ियों की मासिक प्राप्ति

	वर्श 1978–79	वर्श 1979–80
अप्रैल	427	269
मई	476	242
जून	389	178

जुलाई	447	227
अगस्त	528	396
सितम्बर	439	328
अक्तूबर	419	403
नवम्बर	540	193
दिसम्बर	455	203
जनवरी	437	392
फरवरी	420	373
मार्च	393	

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि अप्रैल, 1978 में 427 गाड़ियां और अप्रैल, 1979 में 269 गाड़ियां कोयला लेकर आई हैं। इसी तरह से जनवरी, 1980 में जब ये दल बदल कर आये .....

Mr. Speaker: I disallow this supplementary question. I would request the hon'bel Member to ask relevant questions. 'Dal Badal' has got nothing to do with this question.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा स्पैसिफिक क्वैशचन यह है कि फरवरी, 1979 में 420 गाड़ियां आई और

इसके मुकाबले में फरवरी, 1980 में सिर्फ 373 गाड़ियां आई। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरवरी, 1980 में इतनी कम गाड़ियां क्यों आई और इसका क्या कारण है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि जितनी हमें जरूरत है, उतना कोयला नहीं आ रहा है। हमने भारत सरकार से मामला टेक–अप किया है। मैं दो बार रेलवे मंत्री जी को भी मिला हूं और लिखा भी है कि हमें ज्यादा वैगन्ज दिये जाएं। लेकिन वैग्न्ज कम मिलती हैं, गाड़ियों का आना जाना कम है, इसलिए कोयला कम आ रहा है। इस मामले को हमने सीरियसली लिया हुआ है और भारत सरकार से मामला टेक–अप किया हुआ है। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोयला ज्यादा से ज्यादा आए।

श्री अध्यक्ष: आपने अपने जवाब में लिखा है कि 1400 वैगन्ज प्रति मास फिक्स की है, इसका क्या मतलब है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, स्टेट को 2725 गाड़ियां कोयले की चाहिएं, लेकिन भारत सरकार ने 2725 के अगेस्ट 1400 गाड़ियां प्रति महीना देने का फैसला किया है। हमें 1400 गाडियां भी नहीं मिल रहीं, मुश्किल से इसका 1/4 हिस्सा मिल पाया है और इसीलिए हमने यह मामला टेक–अप किया हुआ है कि 1400 गाड़ियां देने का जो फैसला हुआ है, उसके मुताबिक तो कोयले की गाड़ियां दी जाएं।

डा. मंगल सैन: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि गाड़ियां मिलते समय ही वहां पर कोटा कम हो जाता है या

कोई और बात है? क्या सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल नहीं है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस मामले परआप सुझाव लिख कर भेज दें।

चौ. भजन लाल: महोदय, इन्होंने कहा कि सरकार फेल है। जिस समय डा. मंगल सैन उद्योग मंत्री थे उस वक्त सरकार की डिमांड 2725 गाड़ियों की थी। भारत सरकार से बातचीत करते समय 2725 गाड़ियों से से 14000 गाड़ियां मान कर यही आए थे, 2725 में से घटाकर 1400 मानना इन्हीं का काम है। हम इस फैसले को ठीक करवाना चाहते हैं और मामला भारत सरकार से टेक–अप किया हुआ है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम दोनों वहां गये थे, मैं अकेला नहीं गया था, ये गल्त कह रहे हैं। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. You made a point. The hon. Chief Minister only replied to that.

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने माना कि कोयले की बड़ी किल्लत है, 1400 गाड़ियों में मुश्किल से चौथा हिस्सा भी कोयला नहीं मिल रहा है। क्या मुख्यमन्त्री जी की नालेज में है कि आज हरियाणा में कोयले के लिए बड़ी बेचैनी है और जगह जगह कोयले को ब्लैक हो रही है। सरकार इस बेचैनी को दूर करने के लिए क्या–क्या उचित कदम उठायेगी?

चौ. भजन लाल: इसके लिए कदम उठाए जा रहे है। हमने फैसला किया है कि चूंकि वैगन्ज हमें कम मिलती हैं, इसलिए कोयला बाई–रोड लाया जा सकता है। कोई भी आदमी बाई–रोड कोयला ला सकता है, किसी पर कोई पाबन्दी नहीं, सरकार रिकमैंड करके भेज देती है। जो आदमी कोयला लाएगा वह किसी भी भाव पर बेच सकता है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, स्टेट के अन्दर कोयले की ब्लैक हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ....

श्री अध्यक्ष: ब्लैक के बारे में क्या आपने लिख कर कम्पलेंट की है?

चौ. गंगा राम: मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार कोयले की दलाली में मुंह काला क्यों कर रही है? (व्यपधान)

चौ. भजन लाल: कोयले पर कोई कंट्रोल नहीं है। माननीय सदस्य को पता ही नहीं कि कोयले पर कंट्रोल है या नहीं। अगर जानकारी न हो तो कम से कम सवाल सोच–समझ कर पूछना चाहिए। कोयले की कोई ब्लैक नहीं है। कोयला खुला मिलता है, जिस भाव पर मिल रहा है उस पर चाहे कोई ले, मर्जी न ले। कोई किसी भाव पर भी बेचे, कोई पाबन्दी नहीं है।

चौ. नारायण सिंह: स्पीकर साहब, कोयले में कोई ब्लैक नहीं है। (विघ्न) मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पड़ोस में डिपो है। गुडगांव में कोयला आम मिलता है, जो मर्जी कोयला ले ले। (शोर)

श्री अध्यक्ष: वे कह रहे हैं कि कोयले पर एक पैसे का भी ब्लैक नहीं है।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि अवेलेबल कोयले में से कितने परसैंट कोयला इंडस्ट्रीज को दिया जाता है और कितना ब्रिक किलन्ज को दिया जाता है और कितना और दूसरे कामों के लिए दिया जाता है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इन्होंने सवाल पढ़ा नहीं। यह सवाल स्टीम काल के बारे में हैं, स्लैक कोल के बारे मैं नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में हर महीने स्लैक कोल के 40 रैक चाहिएं लेकिन 40 रैक तो आप छोड़िए, पिछले 6 महीने से एक रैक भी नहीं आया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि बाई रोड़ कोयला ले आएं। अगर हम यह फैसला न लेते तो स्टेट में एक गाड़ी भी कोयले की नहीं आ सकती थी और लोगों को बड़ी भारी दिक्कत होनी थी।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में मोम, कागज और स्टील आदि के कोटे में जो गड़बड़ हुई थी क्या उसकी सरकार कोई जांच करा रही है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। (शोर) देखिए साहेबान मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि क्वैश्चन आवर के समय को जाया करने की कोशिश न करें। जो मेन क्वैश्चन से सम्बन्धित सप्लीमैंटरीज होती हैं, केवल उन्हें ही पूछा करें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अपना सवाल करटियस लैंगवेज में पुट करने की कोशिश करें क्योंकि अगर सरकास्टिक भाशा में सवाल पुट किया जाए तो वह शोभा नहीं देता।

सरदार सुखदेव सिंह: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कोयले आदि के डिस्ट्रिब्यूशन में पिछली सरकार के टाईम में जो हेरा–फेरी हुई है, उसकी यह सरकार जांच कराएगी? (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे नोटिस में कोई बात लाएं हम जरूर इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब कागज और मोम आदि के कोटे का सवाल आता है तो डा. मंगल सैन जी पता नहीं क्यों खड़े हो जाते है?

Dr. Mangal Sein: Speaker Sir, he is equally responsible if he says anything wrong.

श्री अध्यक्ष: मुझे पूरा यकीन है कि डस. साहब कागज और मोम के कोटे के बारे में नहीं बल्कि अपने सप्लीमैंटरी पूछने के लिए खड़े हुए थे। (विघ्न)

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, समगलिंग का नाम आते ही मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात है? (विघ्न)

श्री फतेह चंद विज: अध्यक्ष महोदय, अनैक्श्चर 'ए' को देखने से पता चलता है कि 1400 गाड़ियों के कोटै के अगेन्सट किसी महीने 269 गाड़ियां आई हैं, सिकी महीने 242 गाड़ियां आई हैं और सिकी महीने 178 गाड़ियां आई हैं जबकि दूसरी स्टेटस के लोग ज्यादा पैसा देकर के ज्यादा गाड़ियां ले जाते हैं। क्या यह सरकार वहां कोई अपना अफसर बैठायेगी जो अपनी स्टेट के लोगों को ठीक ढंग से कोयला दिला सके?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपकी हिदायत को मानते हुए में बड़े अदब से एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूगा। उन्होंने अभी फरमाया कि स्लैक कोल की एक महीन की अलाटमैंट हमारी 40 रैकस है लेकिन पिछले 5 महीनो से एक भी रैक नहीं आ रहा है। मै। उनसे जानना चाहूंगा कि जनवरी महीने के बाद इन्होंने इस बारे में क्या कोशिश की है क्योंकि अब तो सैन्अर में एक ऐसी गवर्नमैंट आ गई हैं जो गरीबों का दम भरती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं दो बार अपने रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी से मिला हूं। मैंने दो तीन पत्र भी उन्हें लिखें हैं, जिसमें प्रार्थना की गई है कि हरियाणा

प्रान्त के लिए वे कोयले की ज्यादा वैगन्ज दें ताकि कोयले की समस्या हल हो सके। उन्होंने विश्वास दिलाया है और लिखा भी है कि हरियाणा का खास तोर पर ध्यान रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने कुछ न कुछ रैकस वहां से हमें मिलेंगे।

"Kallar' Ridden Land In Jhajjar Constituency.

***1702. Capt. Mange Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total area of land in Jhajjar constituency which 'KALLAR' ridden at present; and

(b) whether any measures have been taken to re-claim the said 'KALLAR' ridden land ; if so, the details thereof ?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh):

(a) The estimated kallar area in Jhajjar constituency is 642 hectares.

(b) No.

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के पार्ट (ए) के जवाब में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कल्लर जमीन 642 हैक्टेयर है। यानी 1600 एकड़ हैं लेकिन पार्ट (बी), जिसमें मैंने पूछा है कि इसको रीक्लेम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसके जवाब में इन्होंने कहा 'नो'। तो मैं मंत्री जी से

यह पूछना चाहता हूं कि क्या लैंड रैक्लैमेशन एंड डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन के जरिए कोई ऐसे स्टैप्स जल्दी उठाए जाएंगे जिससे वह जमीन पैदावार के काबिल हो सके?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, कल्लर लैंड दो किस्म की होती है। एक ऐलक्लाइन और दूसरी सैलाइन/ऐलक्लाइन लैंड तो ठीक हो जाती है लेकिन सैलाइन लैंड ठीक नहीं होती। सैलाइन लैंड के बारे में रिसर्च हो रही है कि आया ठीक हो भी सकती है या नहीं। रोहकत, जींद ओर उसके ऊपर का सारा ऐरिया तकरीबन सैलाइन लैंड का है, इसलिए मैंने यह जवाब दिया है। अभी चूंकि इसको ठीक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि इसको ठीक करने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं बना है।

चौ. रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सैटिसफैक्टरी नहीं है। चौ. लाल सिंह जी इस कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं। ये यदि इसका जवाब दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। (विघ्न)

श्रम उपमंत्री (चौ. लाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरी आदत इस हाउस का टाईम जाया करने की नहीं है क्योंकि हमें लोगों ने यहां झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा है। जबसे या कार्पोरेशन मेरे पास आयी है, उस वक्त से यह मुनाफे में चल रही है और मैने हरियाणा की पहले से चार गुनी जमीन ठीक करके दे दी है। आंकड़े अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरे दफतर में आ जाएं।

श्री अध्यक्षः वे तो यह जानना चाहते है कि कल्लर जतीन क्यों ठीक नहीं हुई (विघ्न) झज्जर और रिवाड़ी की जमीन क्यों ठीक नहीं करते?

चौ. लाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस भाई ने यह सवाल पूछा है उसे स्वयं यह मालूम नहीं है कि हमारे सैंटर कहां कहां चल रहे हैं। (विघ्न) उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं जगह जाकर के छापे मारता हूं और जमीनें ठीक करवाता हूं। (विघ्न)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः अध्यक्ष महोदय, रोहतक रिवाड़ी और गुड़गांव एक इकट्ठी बैलट है। मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि कल्लर जमीन दो किस्म की होती है। एक किस्म की जमीन ठीक हो सकती है और दूसरी किस्म की जमीन के बारे में रिसर्च हो रही है (विघ्न) मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि जो जमीन इम्प्रूव हो सकती है वइ इस एरिया में इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है?

चौ. लाल सिंहः मैंने अभी रिवाड़ी में भी सैन्टर खोला है और वहां पर ट्रैक्टर भेज दिय है।

श्री अध्यक्षः झज्जर का तो मुझे पता नहीं लेकिन रिवाड़ी के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिपसिम के लिए मैं काफी कोशिश करता रहा हूं और यह कोशिश करते हुए एक साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

चौ. राम किशन: स्पीकर साहब, मैं चौ. लाल सिंह जी से पर्सनली भी मिला हूं लेकिन अभी मेरे सफीदों हल्के में जहां हजारों एकड़ जमीन कल्लर पड़ी हुई है, ठीक करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। क्या सरकार उस जमीन को ठीक करने के लिए कोई प्रबन्ध करेगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

कैप्टन मांगे राम: स्पीकर साहब, मुझे पता है कि झज्जर में इनका हैड क्वार्टर है। झज्जर के आसपास 50 प्रतिशत जमीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यदि सरकार ने तेजी से कदम नहीं उठाया तो और भी ज्यादा जमीन बेकार हो जायेगी। गरीब लोगों के पास एक एक एकड़ जमीन है, वह भी बेकार होती जा रही है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस कल्लर जमीन को ठीक करने के लिए क्या कुछ स्टैप्स उठाये जा रहे हैं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया है कि झज्जर एरिया के अन्दर सलाइन लैन्ड है और उस जमीन को ठीक करने के लिए रिसर्च हो रही है, सर्वे कर रहे हैं। अगर कोई बात काबू आ गयी तो सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। जब तक यह पता न लगे कि यह कैसे ठीक होगी तक तक वहाँ फर्टिलाइजर और जिपसम भेजने का कोई फायदा नहीं है।

कंवर विजय पाल सिंह: हरियाणा में गुड़गांव के नजदीक स्वर्गजीत सिंह फार्म है। उस फार्म की सलइन कल्लर लैन्ड थी। उस सारे कल्लर को रिमूव कर दिया है और अब वह

जमीन बिल्कुल ठीक है। उस फार्म को देखने के लिए राजस्थान से और दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उस फार्म के बारे में पता किया जाये कि उसने उस जमीन को किस प्रकार से ठीक किया हैं। क्या सरकार उससे सुझाव लेकर और जमीन को ठीक करने का प्रयास करेगी?

सरदार तारा सिंह: मेरे भी ध्यान में यह बात है। वे छोटे पैचिज ठीक हुए हैं लेकिन हम इतनी जमीन को ठीक करें तो बहुत पैसा लगता है। सलाइन लैन्ड में से दो फुट भी मिट्टी उठाये ंतो एक एकड़ पर दो हजार रूपये खर्चा आता है। इतने की जमीन नहीं होती है जितना खर्चा आ जाता है। नमक वाली जमीन में पानी खड़ा करके फिर उसको निकाला जाता है, एक तो पानी इतना नहीं होता दूसरे यह प्रोसैस प्रैक्टिकेबल नहीं है। इसलिए यह यूजफुल नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, कल्लर जमीन को ठीक करने के लिए एक कार्पोरेशन बनायी गई है। वह जमीन को री–क्लेम करती है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारी सरकार ने अच्छी जमीन को भी कल्लर करने का ठेका क्यों ले लिया है। फैक्ट्रीज की वजह से यानी फैक्ट्रीज का जो गन्द निकलता है उससे जमीन खराब हो जाती है। क्या सरकार उन फैक्ट्रीज से उस गन्द को हटवायेगी या उन गन्द को हटाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इस गन्द को एक साल के अन्दर अन्दर हटा दिया जायेगा।

Relief to the Farmers, Artisans and Landless Agricultural Labourers

***1638. Shri Jai Narain Verma**: Will the Minister for Revenue of be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration to the Government to give relief to the following categories of the people in the drought hit areas of the State_

(i) Farmers,

(ii) Artisans,

(iii) Landless agricultural labourers; and,

(b) if so, the details thereof ?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह):

(ए) जी हां। सरकार ने खरीफ 1979 में सूखा से प्रभावित किसानों, कारीगरों तथा भूमिहीन कृशि मजदूरों को राहत उपलब्ध कराने के लिए पहले ही कई निर्णय लिये हुए हैं।

(बी) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है –

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों, कारीगरों तथा भूमिहीन मजदूरों को राहत देने के लिए उठाए पगों का विवरण।

सूखे का मुख्य प्रभाव कृशि फसलों पर होता है जिसका किसानों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा फसलों को हुई हानि के अनुपात में किसान वर्ग को राहत उपलब्ध करने में प्राथमिकता दी जाती है। कारीगर तथा भूमिहीन कृशि मजदूर भी सूखा से प्रभावित होते हैं क्योंकि सूखा के कारण वे सामान्य कार्य से वंचित रह जाते हैं और उन्हें सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता होती है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए खरीफ 1979 के दौरान सूखा के प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने निम्नलिखित राहत/सहायता प्रदान की है–

(I) सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में सुस्थापित पैट्रन के अनुसार ग्रेडिड स्केल पर भूमि जोत कर तथा आबियाना ससपैंड किया गया और उसके लिए विशेश रिमिशन दी गई –

(क) जहां पर ''खराबा'' 50 प्रतिशत से अधिक या मुआफी पूरी दी गई।

(ख) जहां पर ''खराबा'' 25 प्रतिशत से अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था, 75 प्रतिशत मुआफी दी गई।

(ग) जहां पर ''खराबा'' 25 प्रतिशत या इससे कम था वहां पर कोई रिमिशन नहीं दी गई।

(II) जहां पर हानि 50 प्रतिशत से अधिक थी, तकाबी कर्जा की वसूली 6 मास के लिए निलम्बिल कर दी गई तथा सहकारी कर्जो को रिशिडयूल किया गया।

(III) सूखा से प्रभावित क्षेत्रो में चारा (भूसा) सप्लाई करने के लिए सरकार ने एक करोड़ रूप्ए बतौर तकाबी तथा 75 लाख रूपए बतौर सबसिडी के प्रदान किए। यह भूसा 20/– रूपए प्रति क्विंटल के रेट से सबसीडाइज्ड दरों पर दिया गयां सबसीडाइज्ड दरों पर भूसा खरीदने के लिए भी सरकार किसानों को तकाबी दे रही है।

(IV) फर्टीलाइजर की खरीद के लिए 3 करोड़ रूप्ए उपलब्ध किए गए जो इन काईड तकावी के रूप में दिया जाना था।

(v) कृशि विभाग द्वारा 72000 क्विंटल ''सर्टीफाइड'' गेहूं के बीच तथा 9460 क्विंटल चने के बीज सप्लाई करने की व्यवस्ाि की गई।

(vi) ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के अधीन 70000 मीट्रिक टन गेहूं/चावल उपलब्ध किए गए। इसकी कीमत 8.52 करोड़ रूपए है। इससे 8 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से 10650000 मैनडेज के रूप में रोजगार उत्पन्न होगा। इन पगों से कारीगरों, कृशि मजदूरों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों जोकि सूखा के कारण अपने क्षेत्रों में बेरोजगार हो गए थे, को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

(vii) केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मेजर और मीडियम सिंचाई कार्यों के लिए 4 करोड़ रूप्ए की अतिरिक्त राशि मन्जूदर की।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि किसानों को चारे के लिए सबसिडी दी जाती है लेकिन जोर गैर किसान हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार वीकर सैक्शन के लोगों को भी यह सुविधा देने के लिए विचार करेगी?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पहले भी कई बार हाउस में बता चुका हूं कि किसानों का भूमि जोत

कर तथा आबियाना ससपैंड किया गया है और उसके लिए विशेश रिमिशन दी गई है। जो सुविधाएं चारे के बारे में हमने किसानों को दी है, वही सुविधाएं लैण्डलैस को भी दी है। हमने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन 70000 मीट्रिक टन गेहूं और चावल आदि लोगों को तकसीम किया है। मुझे उनकी यह बात समझ में नहीं आती कि वे किस कारीगर या गरीब को दिलाना चाहते हैं। हमने सब के साथ बराबर का व्यवहार किया।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Under Bridge on N. H. 10

***1571. Chaudhri Sant Kawar**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct and under bridge on N. H. 10 near village Ismaila of Distt. . Rohtak, if so, the time by which the construction work is likely to be started?

लोक निर्माण मंत्री (कवंर राम पाल सिंह):

(अ) हां जी।

(ब) इसका निर्माण तथा कार्य की गति, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

प्रोजैक्ट की मन्जूरी तथा राशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

Relief in Darba Kalan Constituency

***1619. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal**: Will the minister for Revenue be pleased to state whether any famine relief in cash or kind was given to the people of Darba Kalan constituency of district Sirsa from May, 1979 to 1.3.80; if so, the details thereof?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): सूखा स्थिति के दृश्टिगत प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के अतिरिक्त और कई राहत पग उठाए हैं। दढ़बाकलां विधान क्षेत्र में उठाए गए राहत के पगों का ब्योरा (स्टेटमैंट) सदन के पटल पर रखा जाता है।

स्टेटमैंट

छढ़बाकलां निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा उपलब्ध की गई राहत का विवरण

1. सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार भूमि जोत कर तथा उस पर लगने वाली सैस की मुआफी देने तक 296188.11 रूपये की वसूली निलम्बिल कर दी गई है।

2. 720779.90 रूप्ए के आबियाने की वसूली निलम्बिल/मुआफ करने के लिए मामला अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई (भाखड़ा नहर) सिरसा को तत्काल आगामी कार्यवाही के लिए भेजा गया है।

3. 121427.50 रूपये बतोर फर्टीलाइजर तकावी इन काईन्ड बांट दी गई है।

4. 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन 1665.62 क्विंटल गेहूं जिसका मूल्य 199874.40 रूपये है, बांट दिया गया है। चल रही स्कीमों के पूरा होने पर 1296.60 क्विंटल गेहूं जिसका मूल्य 155592/– रूपए है, बांट दिया जायेगा।

Shifting of Corporations/Boards out of Chandigarh

***1671. Chaudhri Satvir Singh Malik**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the headquarters of the Corporations/Boards from Chandigarh to the places within the State; and

(b) if so, the names of the Corporations/ Boards whose headquarters are proposed to be shifted?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) इस सम्बन्ध में सरकार का सामान्य नीति निर्णय यह है कि प्रत्येक विभाग अपने अधीन किसी भी निगम/बोर्ड आदि के मुख्य कार्यालय को चण्डीगढ़ से बाहर किसी भी स्थान पर बदलने के प्रश्न पर फैसला गुण दोश के आधार सुविधा, कार्यकुशलता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वयं करें।

(ख) हरियाणा शिक्षा बोर्ड को चण्डीगढ़ से भिवानी ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसी प्रकार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के उन कार्यालयों को विदयुत नगर, हिसार ले जाने का निर्णय लिया गया है, जो वहां बेहतर कार्य कर सकते हैं। हरियाणा आवास बोर्ड और हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड के मुख्यालयों को चण्डीगढ़ से बाहर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Realisation of Revenue

***1530. Shri Bhagi Ram**: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the realization of land revenue in the famine stricken areas of district Sirsa had been remitted in the year 1979; and

(b) whether it is also a fact that the realization of land revenue referred to in part (a) above has again been started now; if so, the reasons thereof?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह):

(क) सरकार के आदेशानुसार माफी दिए जाने तक भूमि जोत कर की 689358/– रूपये की देय राशि की वसूली को स्थगित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

Complaint against rough and high-handed behaviour of the Police

***1648. Swami Adityavesh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether any complaint has been received regarding the rough and high handed behaviour of the Police towards the persons belonging to the Vimukt Jaties in the State ; if so, action, if any, taken thereon?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): प्रश्न में कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई। फिर भी चालू वर्श में दो दरखास्तें पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार तथा ज्यादती करने बारे हरियाणा राज्य के दो विमुक्त जाति के व्यक्तियों के बारे प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर फौजदारी मुकदमें दर्ज किये गये जो अभी अनुसंधानाधीन हैं। ये मुकदमें श्री गंगू बाबरिया गांव डहीना जिला नारनौल की दिनांक 5.11.79 को कथित पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु तथा उसकी पत्नी मिसराली की गांव डहीना में

दिनांक 23.1.80 को दिल्ली पुलिस द्वारा कथित गोली मारने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Wheat, Rice (Paddy), Sugar-cane, Cotton Seeds

363. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Agriculture be please to steat the quantity of seeds of Wheat, Rice (Paddy), Sugar-cane, Cotton together-with the name of their varieties distributed by the Agriculture Department and the Haryana Agricultural University, Hissar to the farmers, in the State during the period 1977-78 to 1979-80 (to-date) together with the average production per acre of each such commodity during this period separately?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): सूचना संलग्न अनैक्शचर I तथा II में दी गई है।

कृशि विश्वविद्यायल आमतौर पर किसानों को बीच उत्पादन करने के लिए सीधा नहीं देता है। कृशि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा मुख्यतः मूल बीजों व आधार बीजों का उत्पादन किया जाता है, जोकि कृशि विभाग तथा हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा आगे बीज उत्पादन करने के लिये ले लेता है। फिर भी कुछ नई किस्मों के बीच हरियाणा कृशि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अजमाने के लिये दिये जाते हैं।

ANNEXURE I

Quantity of seeds of Wheat, Rice (Paddy), Sugarcane and Cotton together with the name of their varieties distributed by the Agriculture Department to the Farmers in the State

during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80

		1977-78		1978-79		1979-80	
Sr.No.	Name of Crops	Qty.(in qtls.) distributed	Variety	Qty.(in qtls.) distributed	Variety	Qty.(in qtls.) distributed	Variety
1.	Wheat	58745	Kalyan Sona, Sonalika, C-306, HD 2009	57188	Kalyan Sona, Sonalika, WH-141,C-306,HD 2009	78371	Kalyan Sona, Sonalika, WH-147, WH-

							157, C-306,HD2009
2.	Paddy	12063	Jaya &IR-8 Basmati, Palman, Jhona, Sona	13831	Jaya &IR-8	18855	Jaya &IR-8, Pusa 2-21 & PR106
3.	Cotton						
i)	American	5067	320-F, H-14 Jai	6428	320-F, B-14 Jai Bikaniri ,H-655c	7245	320 F, H-14, H,777, Bikaniri H-655c, Jai

ii)	Desi	36	G-27	96	G-27	83	G-27
4.	Sugarcane	198210	Co.1148, Co.6914, Co. 7717 and Co.1155	269080	Co.1148, Co. 7717 Co.1158	303690	Co.7717, Co.1158, Co. 7314 Co.1148

ANNEXURE II

Average production per acre of Wheat, Rice (Paddy), Sugarcane and Cotton in the State of Haryana

during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80

		1977-78	1978-79	1979-80	

1.	Wheat	8.37	9.20	Not Available	(Crop still to be harvested)
2.	Paddy(Rice)	11.06	11.56	Not Available	(D.A. has informed that information regarding this is being collected by Director Land Records and it is presently not available with them)
3.	Sugarcane	182.88	144.28	140.64	
4.	Cotton				
i)	American	1.30	1.73	1.45	
ii)	1.03	0.94	1.02		

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग –

सदन में धरना देने संबंधी

Mr. Speaker: Gentlemen, I have an announcement to make.

10.00 बजे

On the 19th of March, 1980, the Hon. Minister of Parliamentar. Affairs raised a point of order requesting for my ruling in the question a to whether a dharna by the members during the sitting of the Assemble constituted a breach of privilege a contempt of the House or not.

Before I give my ruling it would not be out of place to recapitu late the incident leading to these events. Immediately after the Question Hour on the 19th March, Shri Ganga Ram, M.L.A. raised a point order by stating these words. ''क्योंकि मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं'' I over-ruled this point of order as no point of order was involved. He persisted in interrupting the proceedings. Inspite numerous directions by me to resume his seat, he defied the Chair and continued to cause interruptions. Not only this, thereafter Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar, M.L.As. staged a dharna by squattin in the space between the Speaker's podium and the front row therefore further obstructing the proceeding. Subsequently, they were persuade by other members of their party in resuming their seats.

I have examined this matter in great detail and also some precedent o f a similar nature. There is no doubt that the obstructionst behaviour of the two members was most undesirable, reprehensible, against the we established parliamentary etiquette and prima-facie constitutes a contempt of the House. In order to maintain the highest traditions of this august house, the members are expected to observe a high standard of conduction. Their behaviour should be such as to enhance the dignity of the House and of its members. Having examined previous cases of this nature, find that there are no clear cut rules or precedents where behaviour this type was unambiguously ruled as a breach of privilege. In a previous cases, the Speakers exercised their discretion depending upon the seriousness of the incident. As I have already said, no doubt this incident was of a highly reprehensible nature and of extreme gravity, but hon. Members today being the last day of the session, I am of the opinion that a spirit of “peace on earth and good-will towards fellowmen” should prevail. This makes me lean towards adopting an attitude of lenience and, therefore. I rule out the possibility of a breach of privilege being brought in against the members. However, in order to deter such incident from recurring, I would recommend the following two courses to the House, which is supreme, to decide--

i) an apology to be tendered by both the members and an assurance of their future good behaviour be given by the leader of their party; and

ii) the administering of a reprimand by the House.

Hon. Members, as I have already said, the House is supreme and can take any decision it thinks fit, but, in my opinion, either one of these two courses, suggested by me will serve, the purpose of ensuring decorum discipline and meet the ends of justice.

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद): स्पीकर साहब, जब यह हालत इस हाउस में हुई यानी जब दो अपोजीशन मैम्बरों की ओर से धरना दिया गया तो उस वक्त मैंने प्वायंट आफ रेज किया था। वह इस वजह से किया था कि हमारे हाउस की डिगनिटी कायम रहे और ऐसी हालत पैदा न की जाये जिससे चेयर की डिफाई किया जा सके और तमाम लोगों के सामने हमारा तमाशा बन कर रह जाये। चूंकि आज हाउस की आखिरी सिटिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हाउस में अमनो–अमान रहें आपने अीाी दो आल्टरनेटिव सुजैस्ट किए हैं। यदि यह पहले आल्टरनेटिव को मानने और अपोलोजी टैन्डर करने को तैयार है नहीं है या रजामन्द नहीं है तो दूसरा आल्टरनेटिव यह है कि इनको रैप्रिमान्ड किया जाये। (शोर) मैं इस बात के लिए हाउस के सामने एक रैजोल्यूशन मूव करना चाहता हूं। स्पीकर साहब आपने जो रूलिंग दी है, उसमें मिनिमम पनिशमैट सुजैस्ट की है मैं आपकी इजाजत से एक रैजोल्यूशन पेश करना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Before you move the resolution, I would like to give a chance to the Leader of the Oppostion to express his views.

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, यह जो हाउस मं वाक्या हुआ था जिसमें हमारी पार्टी के दो मैम्बरान आधा मिनट या 10–15 सैकेण्ड के लिए यहां आगे आ गए थे, उसको देखते हुए हमारी पार्टी के ही मैम्बरों ने उन दोनें मैम्बरों को परसुएड किया कि वे अपनी सीटो पर वापस चले जायें। उनके कहने के बाद वे वापस चले गए। मैं उन द्वारा की गई उस कार्यवाही को अच्छा नहीं समझता उनको इस तरीके से यहां आगे नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब हमारी ही पार्टी के मैम्बरों ने उनको परसुएड किया तो वे वापस अपनी जगह पर चले गए। इन हालात में उनको परसुएड किया तो वे वापस अपनी जगह पर चले गए। इन हालात में आपने जो भी टैक्नीकली विचार करके, रूलिंग दी है और आपने जो फरमाया है, वह ठीक है, उनसे गलती हो गई। उसके लिए मैं एश्योर करता हूं कि हमारी पार्टी के साथी भविश्य में ऐसा नहीं करेंगे। जो कुछ आपने फरमाया है, मैं उस बात को एप्रीशिएट करता हूं लेकिन गवर्नमैंट जो भी चाहती है, उसको हाऊस में कुछ न कुछ लेटिच्यूड मिलना ही है। जब हमारी सरकार थी हमें भी मिलता था। परन्तु रूलिंग पार्टी के आदमियों ने पिछले 10–15 दिनों से हाउस की कार्यवाही को ठीक प्रकार से नहीं चलने दिया और वे भी कम शोर नहीं मचाते रहे, बार बार इन्टरफियर करते रहे हैं। (शोर)

Mr. Speaker: Babu ji, I think, we are dealing with one incident.. It would be pointless in cross allegations being

thrown. Therefore please confine to the issue before the House.

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, अब जब मैं बोल राह हूं तो ये अब भी बीच में बोल रहे हैं और मुझे बोलने से रोक रहे हैं। आप इनको इस मामले में ही देख लें। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि भविश्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए अगर इस मामले को ड्राप कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

मुख्यमंत्री (चो. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन जी ने अपनी पार्टी के मैम्बरों को कई बार यह बात कही है कि हाउस मे मर्यादा से बोलना चाहिए और हाउस में डैकोरम को कायम रखना चाहिए। लेकिन बाबू मूल चन्द जैन जी के बार बार कहने के बावजूद भी इन मैम्बरान का रवैया ठीक नहीं रहा। इसलिए बाबू जी उनकी तरफ से चाहे कितना भी आश्वासन देते रहें, वे उनकी बात को मानेगे नहीं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो ठीक न लगे। लेकिन उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए अलबत्ता यदि खुद मैम्बर एक बार हाउस में खड़े होकर यह कह दें कि भविश्य में ऐसा नहीं करैंगे तो हम इस बात को मान सकते हैं। केवल बाबू मूलचन्द के कहने पर हम नहीं मानैंगे क्योंकि बाबू जी को इन मैम्बर साहेबार ने आज तक एक भी बात को नहीं माना।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने ठीक आबजर्व किया है की पावर सुप्रीम है इसलिए आपने हाउस के सामने यह बात विचार करने के लिए रखी है। स्पीकर साहब, सदन के दोनों पक्षों के मैम्बरों ने बोलते हुए अपनी अपनी बात कही कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन कई बार जजबात में बहकर कोई ऐसी बात कह दी जाती है, जो नहीं कहनी चाहिए। उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए था। यह दोनों ओर के मैम्बरों ने बिल्कुल ठीक फरमाया था। मैं भी चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा को और सदन के ऐटीकेट को ध्यान में रखना चाहिए था। आपने भी कई बार उनको समझाया है। मैंने भी एश्योरेंस दी है कि भविश्य में कोई मैम्बर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जबकि अपोजीशन के सभी सदस्यों ने उनकी तरु से एश्योरेंस दी है और बाबू मूलचन्द जैन जी, जो उनके नेता हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भविश्य में ऐसा नहीं होगा तब भी सी.एम. साहब मान नहीं रहे हैं। इतना आश्वासन आ जाने के बाद मैं चाहता हूं कि उनको कोई सजा न दी जाये। (शोर)

Ch. Khurshid Ahmed: It is a question of the dignity of the House.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी हम्बल सबमिशन है। मुख्यमंत्री जी बड़े ताकतवर आदमी हैं, उनको छोटी–छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए और बड़ी उदारता का परिचय देना

चाहिए। जब इन्हौंने इतने बड़े–बड़े काम कर दिये हैं और उस दौरान इन्होंने महसूस नहीं किया, यह तो कोई बात ही नहीं है।

Mr. Speaker: It is not a question of either the Chief Minister or any Minister or any friend from this side or that side being annoyed or not. जी भी कार्यवाही हो रही है, उसमे मैंने भी हद से ज्यादा पेशन्स दिखायी है, सब को अकोमोडेट किया है। श्री संत कंवर और चौ. गंगा राम जी निजी तौर पर मेरे दोस्त है, मैं इनकी इज्जत करता हूं लेकिन हाउस के अन्दर स्पीकर के पोडीयम के सामने धरना देना कोई शोभा देने वाली बात नहीं थी। मैं तो इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि हाउस सुप्रीम है। The Speaker is the servant of the House और इसमें कोई मेरे पर्सनल जजबात की बात नहीं है। जो हाउस फैसला करेगा, I will be bound by that decision. It is up to the House to take any decision.

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, एक प्रोवरव है "To spare the ord and poil the child" लकिन हम यह समझते हैं कि आज हम सब घर जा रहे है। आपने भी बड़ी लीनीऐन्सी बरती है। जरा सी बात पर बदमजगी नहीं होनी चाहिए। मैं लीडर आफ दि हाउस से भी दरखास्त करूंगा कि वे यह समझें कि इन बच्चों ने जरा सी गलती कर दी लेकिन इसके साथ ही मैं उन आनरेबल मैम्बर साहेबान से भी यह कहूंगा कि उन्हें हाउस के सामने रिग्रेट कर देना चाहिए।

चौ. हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचन्द जी ने पार्टी की तरफ से अश्योरेन्स दे दिया है। इसलिए मैं यह दरखास्त करूंगा कि इस इशू पर चेयर की तरफ से, उन मैम्बरान को, जिनसे गलती हुई है, केवल वार्निन्ग दे दी जाये ताकि आगे के लिए कोई ऐसी चीज न होने पाये।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जैन जी और डाक्टर मंगल सैन जी बड़े सीनीयर मैम्बर है। हम इनकी बात को मानते हैं लेकिन कम से कम जिन लोगों ने इस हाउस की मर्यादा को तोड़ा है, उसकी उल्लंघना की है, हाउस की तौहीन की है, वे खड़े होकर इस बात के लिये हाउस माफी मांगें, तभी हाउस उनको माफ करेगा।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, हम आपका बड़ा अदब करते हैं। चेयर की इज्जत करते हैं। इस हाउस की गरिमा को बनाये रखने के लिए अकेले मुख्यमंत्री का ही नहीं, तमाम मैम्बर साहेबान, खासतौर पर आपका और हमारा फर्ज बनाता है। हमने कोई ऐसी बात आपकी इज्जत के खिलाफ, आपकी जात के खिलाफ करने की कभी कोशिश नहीं की है। इस हाउस के अन्दर उस दिन जो वाक्या हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार न तो अन्धों के मामले में और न ही हरिजनों के मामले में जवाब देने के लिए तैयार थी। इसलिए हमने इन बातों को हाईलाईट करने के लिए वह सब किया। जहां तक सरकार से माफी मांगने की बात है, हम उनसे कभी भी माफी नहीं मांगेगे। (शोर)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने दो आल्टरनेटिव सुजेक्ट किए हैं। पहले तो मैं यह कहूंगा कि मेरे से पहले हमारे सीनियर मैम्बरज बोले हैं। लीउर आफ दि हाउस, लीडर आफर दि अपोजीशन ने अपनी अपनी बातें कही हैं। स्पीकर साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि अढ़ाई तीन साल के अर्से तक हम भी अपोजीशन बैंचिज पर बैठे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि हमने आपको कभी ऐसा मौका नहीं यिदा कि हाउस की प्रतिश्ठा के बारे में या चेयर के बारे में कोई गलत बात की हो। स्पीकर साहब, मेरे दो नौजवान साथी आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं। यह ठीक है कि आपने दो आल्टरनेटिवज तजवीज किये हैं। मैं हाउस मतें आपकी परमिशन से यह सबमिट करना चाहता हूं कि अगर यह दोनों साथी खड़े होकर यह कह दें कि आईन्दा हम ऐसा इन्सीडेन्ट रिपीट नहीं करेंगे तो इनको छोउ़ देना चाहिए। क्योंकि माफी की कोई खात बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि लीडर आफ दि हाउस मेंरी इस सुजैशन को रिजैक्ट नहीं करेंगे।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि हाउस जो है वो सुप्रीम है। हमारी तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि हाउस की गरिमा किसी भी ढंग से कम की जाये या किसी ढंग से हाउस की इज्जत कम की जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस दिन भी हमारी हाउस की इन्सलट करने की नीयत नहीं थी। हमने तो सिर्फ सरकार का ध्यान जितनी घटनाएं हुई है, उनकी तरफ आकर्शित

करने के लिए वह कदम उठाया था। सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, हाउस के अन्दर धरना देने जैसे कदम उठाना पार्लियामैंट में भी चलता है और दूसरी असैम्बलीज में भी चलता है। मैं स्पीकर साहब, आपको यह कहना चाहूंगा .... (व्यवधान व शोर) स्पीकर साहब, आप तो मर्यादा भंग की बात करते हैं लेकिन यहां पर दूसरों को बोलने भी नहीं देते। मुझे आपने आज्ञा दी, तब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उस दिन की बात बता रहा था, आपने उस दिन हमें आज्ञा दी और हमें इशारा किया, हम उसी टाईम अपनी सीटों पर चले आये। हाउस के कहने पर हम अपनी सीटों पर वापिस चले आये। इससे ज्यादा हम और क्या कुछ कह सकते हैं ....। (शोर)

चौ. खुरशीद अहमद: स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग आने के बाद कोई चीज नहीं रह जाती जिसके बारें में किसी भी मैम्बर को बोलना चाहिएं आपकी रूलिंग का किसी दूसरे तरीके से चैलेन्ज करना और यह कहना कि स्पीकर की यह फाइन्डिग्ज हैं, यह नहीं किया जाना चाहिए। उन मैम्बर्ज का यह कहना कि हमने तो सिर्फ गवर्नमैंट की अटैन्शन इन्वाईट करने के लिए, जो एक नौर्मल प्रोसीजन है, उसे अपनाया है, यह ठीक नहीं है। यह बात पार्लियामैंट्री प्रोसीजर में कहीं भी ठीक नहीं कही जाती। मैं आपको इजाजत से 'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजन आफ पार्लियामैंट बाई कौल एण्ड शकधर' का 1979 एडीशन पढ़ देता हूं। इमसें दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें कन्टैन्पट आफ दि हाउस बनती

है। ये पेज 252 से शुरू होता है और पेज 254 पर धरने का जिक्र आता है। इसमें लिखा है –

"A member is not to resort to hunber-strike, dharna or any demostriation or perform any religious function in the precincts of the Parliament House and the Parliament House Estate...."

तो इस बारे में कोई कसर नहीं रह जाती कि कन्टैम्पट न बनती हो। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि मेम्बर्ज ने जो कुछ किया है, वह इस सदन की मर्यादा को भंग करने के इरादे से किया है और यह कन्टैम्पट बनती है। आपकी रूलिंग आने के बाद भी जो, एटीच्यूड उन मैम्बर्ज ने अपनाया है, उसे देखते हुए कि वे अब भी अपोलोजाईज करने के लिए तैयार नहीं और को–आप्रेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, मैं यह कहूंगा कि इस रेज्योल्यूशन को मूव करने की इजाजत देनी चाहिए। पोसवाल साहब ने इतना अच्छा सुजैशन दिया था that they should tender an unqualified apology to the House and we would forget it. But they are not cooperating in the matter. Therefore. We have to resort to the action which we are entitled to take against such members under the rules. We have no other alternative except to move a resolution for the reprimand of these members.

I may, therefore, be permitted to move a resolution for the reprimand of these members for their misbehaviour. (Interruptions).

Mr. Speaker: Order Please.

सर्वश्री गंगा राम तथा संत कंवर को रैप्रिमांड करने सम्बन्धी प्रस्ताव

Local Government Minister: (Chaudhri Khurshid Ahmed): Mr. Speaker, Sir, I beg to move-

That Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar, M.L.As committed a contempt of the House on 19.3.1980 by staging a dharna in front of the dais of the Hon. Speaker which impeded the smooth working of the house.

Now, therefore, I beg to move that both the above said M.L.As. i.e. Sarvhri Ganga Ram and Sant Kanwar be reprimanded for their misconduct.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar, M.L.As committed a contempt of the House on 19.3.1980 by staging a dharna in front of the dais of the Hon. Speaker which impeded the smooth working of the house.

Now, therefore, both the above said M.L.As. i.e. Sarvhri Ganga Ram and Sant Kanwar be reprimanded for their misconduct.

श्री कंवर सिंह (विराय): स्पीकर साहब, उस दिन जो वाकया हुआ तो हमारे नौजवान कुछ गुस्से में आ गए थे और उन्होने अपनी बात को धरना देकर हाईलाइट करने की कोशिश की थी।

Mr. Speaker: This has already been said. Please do not make any repetition,

श्री कंवर सिंह: उसके बाद गवर्नमैंट बराबर हर बात को इन्कार करती चली गई जिसकी वजह से हमारे कुछ नौजवान साथी गुस्से में आ गए। यह हो सकता है कि इन नौजवानों को पार्लियामैंटरी प्रोसीजर की समझ न हो और आपने अपनी रूलिंग में भी कहा है (व्यवधान) कि पार्लियामैंटरी डेमोक्रेसी में यह हो जाता है and this can be overlooked. You have ruled out any contempt of the House. यह आपकी रूलिंग में दिया है।

Mr. Speaker: I only ruled out the breach of privilege being in volved.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा था .....

Mr. Speaker: Kindly do not mis-quote me. I have only ruled out the breach of privilege being involved.

श्री कंवर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि सदन से भी दरखास्त करना चाहूंगा कि हमारे लीडर आफ दि अपोजीशन ने जो कुछ कहा है, उसको इनकी तरफ से अपोलाजी मान लिया जाए (व्यवधान)। हम बहुत अच्छे तरीक से तीन हफ्ते से चलते आ रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अपनी तरफ से I have even gone out of the way to show leniency, goodwill etc. (Interruptions).

श्री कंवल सिंह: आपने एक दिन चौ. गंगा राम को नेम किया और बाहर निकाला था। उसके बाद डाक्टर साहब ने आश्वासन दिया था और उस दिन के बाद कोर्ट इंसीडेन्ट नहीं हुआ और कोई ऐसी बात सदन में नहीं हुई।

Mr. Speaker: Now the matter is before the House and it has to take a decision.

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, पिछले अठारह उन्नीस दिन से इस सदन का अधिवेशन चल रहा है और छोटी–मोटी हंसी मजाक के बीच ये दिन गुजर गए है। अध्यक्ष महोदय, आज विदाई का दिन है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम छः महीने के बाद मिलेंगे। मैं नहीं समझती कि अगर इस तलख वातावरण में हम लोग घर जाएं, तो कहां तक ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैन्टरी अफेयर मिनिस्टर ने जो रैजोल्यूशन सदन में रखा है, यह एक तलख रैजोल्यूशन है और इसको गुडविल के ऐटमौसफीयर में बदलने का सुझाव दिया गया है। अभी लीडर आफ दि हाउस ने कहा है कि उस दिन जो भी घटना घटी, उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता और वह अफसोसनाक बात थी। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस के बाद अगर कोई पद होता है तो वह लीडर आफ दि अपोजीशन का

होता है। लीडर आफ दि अपोजीशन की बात वजन लीडर आफ दि हाउस की बात से किसी भी तरह कम नहीं होता है। लीडर आफ दि अपोजीशन ने यह इजहार किया है कि उस दिन की जो घटना थी वह तारीु के काबिल नहीं थी और कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। इयलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बाबू मूल चन्द जी ने जो कुछ कहा है, उसको उन दो मैम्बरान की अपोलिजी मान लिया जाए (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि अपोजीशन का कहना ऐनटायर अपोजीशन का कहना मान लिया जाए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि बाबू मूल चन्द जैन की बात को सारी अपोजीशन की बात मान लिया जाए। (व्यवधान)

चौ. रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है इसके बारे में कोई राय जाहिर करने से पहले मैं एक स्पश्टीकरयाण लेना चाहता हूं कि रैप्रिमान्ड अगर किसी को किया जाता है तो उसके इम्पलीकेशन्ज क्या है? अगर यह पता लग जाए कि यह केवल एक फारमैलिटी है तो फिर कोई बात नहीं है और अगर ज्यादा इम्पलीकेशंज हैं तो इसके बारे में सोचा जा सकता है।

Mr. Speaker: As far as implications of reprimand are concerned I can go through the relevant provisions and then tell you in detail. But, briefly, I can say that the procedure for administering a reprimand is that the member to be reprimanded must, on being called. Stand up on his seat.

The Speaker will then convey the reprimand of the House to him. If there is any failure in this respect, for example, if the member to be reprimanded fails to stand up when ordered by the Speaker, then the matter takes a serious turn and expect for suspension there is no other course.

Shri Baldev Tayal (Hansi): Mr. Speaker, Sir, with utmost regret I must say that incident of 'dharna' was not healthy (Interruptions). But all the same, Sir, I must bring to the notice of the Hon. Chair that both sides were responsible for lowering down the status of this House to a fish market, and in a fish market if, something untowards happens and if some member exceeds his limit then he should be dealt with leniency. Hon. Speaker, Sir, I must point out to you that such an incident happened in the Parliament also and Smt. Indira Gandhi was expelled, but it had for reaching consequences on democratic set up of this country, the result being, that the previous Parliament was termed as a Parliament of expulsions. The people revolted against that un-democratic act. I most humbly submit before you that on such a minor incident. (Interruptions)

Ch. Khurshid Ahmed: This is not a minor incident (Interruptions)

Sh. Baldev Tayal: I would request you, sir, that the Leader of the House and especially the Minister for Parliamentary Affairs should not go on interrupting a member when he is speaking. If you accept this then they must behave themselves also and I would request you to check them. I must bring to your notice that when this house has been reduced to that level, I would definitely call it a minor incident and also

submit to you that extreme step may not be taken. That is all, Sir. Thank you.

Mr. Speaker: I must entirely dis-agree with the views that have been expressed by the member. At times there have been interruptions from both the sides and even handedly, without any fear or favour, I have checked them regardless off the fact, whether these emanated from this side or that side. At certain times, a sense of rivalry and good homour had prevailed in this House, which to a certain extent, in my mood of relaxation, I allowed to develop in order to lessen the atmosphere of tehsion that cropped up in the House. But the dignity of the House has not been lowered by the proceedings in any case and to say that the 'dharna' was as a result of the low conduct of the House is an entire travesty of facts.

The Miniser for Parliamentary Affairs.

Sh. Baldev Tayal: Mr. Speaker, Sir, just a minute. I have to say something.

Ch. Khurshid Ahmed: I have been called by you, Mr. Speaker, Sir. I have to reply to the arguments fo my friend. (Interruptons). But now they are again interrupting and defying the Chair. (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: Babu ji, I would now give a chance only to the two concerned Members to speak, if they want to follow the wishes of the House as they prevail. It is pointless to prolong the proceedings on this matter any more.

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो आदेश फरमाया है (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैंने कोई आदेश नहीं फरमाया है।

चौ. गंगा राम: मेरा मतलब यह है कि आपने जो दो तरीके यहां पर बताये, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर यह एक प्रेसीडैन्ट रहा है, आपको भी याद होगा, पार्लियामैंट के अन्दर भी .....(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have given no instrutions or directions. I have given a ruling in which I have ruled out the breach of privilege being involved. I have suggested two alternatives in a spirit of leniency. The House has alround appreciated that. Now I will not allow any more waste of time of the House on this matter. If the first alternative is acceptable to you, then I would request you most humbly to get up and tender an unqualified apology without justifications of the act of dharna, otherwise the Minister for Parliamentary Affaris is free to move his motion. (Interruptions).

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहतता हूं और इस हाउस को यह बताना चाहता हूं कि एम.एल.ए. रहे या न रहे लेकिन इस सरकार के सामने कही नहीं झुकेगे और जो यह गलत बातें मनवाने की बातें करते है, हम कही नहीं मानेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Ch. Khurshied Ahmed: This is no apology. Rather, he is again challenging. (Interruptions)

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मौका तो दीजिए।

Mr. Speaker: I will give you an opportunity.

वाक–आउट

Sh. Baldev Tayal: Mr. Speaker, Sir, I wish to protest and stage a walk-out in view of the speech and admant attitude off the Leader of the House. (Interrutions).

Mr. Speaker: Talal Sahib, please sit down. (Interruptions)

(At this stage Sh. Baldev Tayal staged a walk-out).

सर्वश्री गंगा राम तथा संत कंवर को रैप्रिमांड करने संबंधी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक–दो बातें यहां हाउस के सामने कहना चाहता हूं। हम आपकी बड़ी इज्जत करने हैं, चेयर की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं तो मानता हूं कि आप साहेबान मरी बड़ी इज्जत करते हैं।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग कभी भी ऐसी सरकार से माफी मांगने वाले नहीं हैं। इसके आगे कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे हमें एक्सपैल भी क्यों न कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) हम इनकी गलत नीति के विरोध में हमेशा ही आवाज उठाते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं है, स्पीकर साहब। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, ये तो *हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं और हरियाणा व हरियाणा की गरीब जनता को बुरी तरह से * * * रहे है। हम इनकी गलतियों के बारे मे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। ये गलत बातें मनवाने की कोशिश करते हैं ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Ch. Khurshid Ahmed: He is challenging the ruling of the Speaker.

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

Mr. Speaker: Question is:-

That Sarvshir Ganga Ram and Sant Kanwar, M.L.As. committed a contempt of the House on 19-03-1980 by staging a dharna in front of the dais of the Hon. Speaker which impeded the smooth working of the House.

Now therefore, both the above-said M.L.As. i.e. Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar be reprimanded for their misconduct.

After ascertaining the votes of the members by voices. Mr. Speaker announced that "The ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speakeer after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No', respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

वाक–आउट

Dr. Mangal Sein: On a point of order, Speakeer Sahib. We challenge this counting and seek secret balloting. I would draw your kind attention to Rule 94(4)(a) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly which says-

"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged and he does not adopt the course provided for in sub-rule(3), he shall order a 'Division' to be held".

Ch. Khurshid Ahmed: Counting has already been done and the decision of the House announced. There is no question of challenging it.

Mr. Speaker: This is no point of order. Once the counting has been done and the decision announced, the ruling is final and there is no question of challenging it. (Interruptions). There can be no discussion on it now.

I once again request Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar to please stand up in their seats to receive the reprimand in accordance with the decision of the House.

Dr. Mangal Sein: We have no other alternative but to stage a walk-out.

(At this stage, the members of the Janata Party as also of the Lok Dal Party, present in the House including Sarvshri Ganga Ram and sant Kanwar Staged a walk-out.)

Sh. Shamsher Singh: Mr. Speaker, Sir, I have given notice of a breach of privilege. What has happened to that?

Mr. Speaker: I will come to that later.

रूल 104 का निलम्बन और सर्वश्री गंगा राम तथा संत कंवर का निलम्बन

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Condduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Sarshri Ganga Ram and Sant Kanwar.

Ch. Parliamentary Secretary (Smt. Shanti Devi): I second the motion.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Condduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Sarshri Ganga Ram and Sant Kanwar.

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Condduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Sarshri Ganga Ram and Sant Kanwar.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Khushid Ahmed): Sir, I beg to move –

That on 21-3-1980, two members of this House, namely Sarvshri Ganga Ram ans Sant Kanwar having been asked by the Hon. Speaker to rise in their seats did not rise in their seats to receive the punishment of reprimand and defied the orders of the House. By this conduct of theirs they committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

Ch. Parliamentary Secretary (Smt. Shanti Devi): I second the motion.

Mr. Speaker: Motion moved –

That on 21-3-1980, two members of this House, namely Sarvshri Ganga Ram ans Sant Kanwar having been asked by the Hon. Speaker to rise in their seats did not rise in their seats to receive the punishment of reprimand and defied the orders of the House. By this conduct of theirs they committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

Mr. Speaker: Question is –

That on 21-3-1980, two members of this House, namely Sarvshri Ganga Ram ans Sant Kanwar having been asked by the Hon. Speaker to rise in their seats did not rise in their seats to receive the punishment of reprimand and defied the orders of the House. By this conduct of theirs they committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

The motion was carried.

श्री शमेशर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने री पी.सी. वधवा के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज के लिए एक मोशन दी थी। उस पर आपने आज डिसीजन देना था।

Mr. Speaker: I had received a notice of breach of privilege from Sh. Shamsher Singh surjewala, M.L.A. After

that the officer against whom the notice of breach of privilege had been given has apologized in the matter, and, therefore, I would request the hon. Member to withdraw the notice.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, हम जानना चाहते है कि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज क्या था?

Mr. Speaker: As yet, I have not allowed it. I am taking to the hon. Member concerned. As the officer concerned has expressed his regrets in the matter, it was agreed to between us that the notice will be withdrawn.

श्री हीरा चन्द आर्य: स्पीकर साहब, जब कोई मामला सदन में आ जाता है तो वह मामला सदन का बन जाता है। इसलिये हमें यह जानकीर मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वह तभी बनता है अगर स्पीकर उसे एडमिट कर लें। It has not been admitted so far. (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, आप बोल रहे हैं लेकिन मिनिस्टर साहेबान बीच में बोल रहे है।

Mr. Speaker: No interruptions please.

श्री मूल चन्द जैन: इस हाउस में सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि मिनिस्टर बीच में दखलअंदाजी करते हैं। आज के इन्सीडैट के बावजूद भी ये बाज नहीं आते। (शोर)

Mr. Speaker: There will be no interruptions.

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, चूंकि उन्होंने लिखित में अपोलोजी टैंडर कर ली है इसलिये मैं अपना मोशन वापिस लेता हूं।

Mr. Speaker: Thank you very much.

ध्यानाकर्शण सूचना

(i) वकीलों द्वारा अदालतों का बहिश्कार करने संबंधी

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, रिवाड़ी के मामले को लेकर कल सारे हरियाणा में वकीलों ने अदालतों का बहिश्कार किया। इस संबंध में मैंने आज सुबह 7.15 बजे एक काल अटैशन मोशन दिया था।

Mr. Speaker: I have not received this.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह नोटिस मैंने सुबह 7.15 पर दिया था और मैंने टेलिफोन पर सैक्रेटरी साहब को भी इस बारे मे रिकवैस्ट की थी। (विघ्न)

Mr. Speaker: Either you believe me that I have not received it or you do not believe me. I have said that I have not received it.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, वकीलों ने कोई बहिश्कार नहीं किया।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, वकीलों ने बहिश्कार किया है, वह बड़ा सीरियस मामला है और इस बारे में मैंने आज सुबह नोटिस भी दिया है।

Mr. Speaker: I have not received this. When I receive it, I will take action on it.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आज तो सैशन का लास्ट डे है, आप इस पर डिसीजन कब लेंगे?

Mr. Speaker: My staff tells me that it was put up at 9.45 a.m.

Dr. Mangal Sein: I submitted it at 7.15 a.m. and also talked to the Secretary, Haryana Vidhan Sabha on the telephone.

Mr. Speaker: I have been told that it was put up at 9.45 a.m.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे पास इसकी कापी है और उस पर विधान सभा की तरफ से 7.55 का समय लिखा हुआ है।

Mr. Speaker: I have not received it so far. I will examine it and if any member of the staff has shown any derelication in his duty, I will take action against him.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसलिये आप इस पर इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: इस गम्भीर मामले को हुए एक महीना हो चुका है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हड़ताल तो सारी स्टेट में कल हुई है।

श्री अध्यक्ष: जैसे मैंने पहले कहा है कि मेरे पास अभी तक यह मैटर नहीं आया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आपको पूरा अधिकार है, आप आज भी इजाजत दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरे को यही नहीं पता कि उस काल अटैन्शन मोशन में क्या लिखा हुआ है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में हड़ताल हुई है और यहां हाई कोर्ट में भी हड़ताल हुई है। (शोर)

(ii) डालमियां सीमेंट फैक्टरी, चरखी दादरी को बन्द करने संबंधी

श्री अध्यक्ष: मुझे सर्वरी हुक्म सिंह, हीरा नन्द शर्मा आर्य और रण सिंह मान की ओर से डालमिया सीमेंट फैक्टरी, चरखी दादरी के बन्द होने के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मन्जूदर करता हूं। आनरेबल मैम्बर कृपया अपना नोटिस पढ़े।

चौ. हुक्त सिंह: मैं इस सदन का ध्यान डालमिया सीमेंट फैक्टरी, चरखी दादरी के बन्द होने की ओर दिलाना चाहता हूं:–

(1) इस सीमेंट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता 750 टन प्रतिदिन है।

(2) देश में सीमेंट की कमी होने के बावजूद भी इस फैक्टरी को बन्द कर दिया गया है जबकि भारत सरकार विदेशों से सीमेंट मंगवाने जा रही है।

(3) सीमेंट फैक्टरी के बन्द होने से 3000 (तीन हजार) मजदूर बेकार हो जायेंगे। सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों का बिजली व पानी भी बन्द कर दिया गया जिसकी वजह से मजदूरों के परिवारों को बड़ा कश्ट उठाना पड़ रहा है।

इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां तुरन्त फैक्टरी चलाने हेतू कोई आई.ए.एस. अफसर भेज जाये और सरकार इस फैक्टरी को अपने अधिकार में ले ले।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब हम चार दिन में लिखित रूप में भेज देंगे।

बैठक का निलम्बन

(At this stage Sarvshri Ganga Ram and Satn Kanwar entered the House.

Mr. Speaker: I request Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar to withdraw from the House as they have been suspended for the remainder of the Session. (Interruptions). I would once again request both these members to please withdraw from the House.

(Both the members did not withdraw from the House)

Mr. Speaker: Remove them from the House as they have been suspended and cannot remain in the House.

(At this stage the Sergeant-at-arms went to the hon. Members).

Dr. Mangal Sein: Sir, the members should not be dragged.

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please take your seat. When I require you advice. I will ask for it.

Dr. Mangal Sein: It is my right to submit.

Mr. Speaker: when these members have been suspended they cannot remain in the House. (Interruptions) Remove them from the House.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, यह बताया जाए कि हाउस का क्या फैसला है?

Mr. Speaker: They have been suspended for the rest of the session and they cannot remain in the House.

(Both the hon. Membes i.e. Sarvshri Ganga Ram & Sant Kanwar did not leave the House and there was great noise and disorder).

Mr. Speaker: I suspend the sitting for half an hour.

10.50 बजे

(The sabha then adjourned and re-assembled at 11.20 a.m.)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, जब आपने सदन को स्थगित किया तब आपने कहा कि हाउस सस्पैंड किया जाता है।

Mr. Speaker: What I said was that the House stands adjourned for half an hour and no further discussion on it now. (Interruptions)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप टेप–रिकार्डर निकलवा कर देख लीजिए कि आपने क्या शब्द कहा है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अगर स्लिप आफ टंग हो जाती है, तो उसको करैक्ट करने का या चेंज करने का अधिकार भी मैं रखता हूं। (शोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप टेप–रिकार्डर निकलवा कर देख लें, आपको पता लगेगा कि आपने सस्पैंड शब्द कहा था। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैंने टैप–रिकार्डर देख लिया है। (शोर एवं विघ्न)

I gave a ruling that what I said was that the House stands adjourned for half an house. There can be no further discussion on my ruling.

डा. मंगल सैन: क्या आपने देख लिया है? (शोर एवं विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, टेप–रिकार्डर जरूर देख लिया जाए क्योंकि आपने कहा था कि हाउस सस्पैंड किया जाता है। हाउस सस्पैंड होने के बाद हाउस दोबारा समन किया जाना चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Please sit down. What I said was that the House stands adjourned for half and hour. I would not allow any more discussion on it now.

श्री हीरा नन्द आर्य: यह डिस्कशन की बात नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी आपसे बड़ी अदब से अर्ज है कि हाउस सस्पैंड होने के बाद यह एक लीगल पोजीशन हो जाती है। आप देख लें, अगर ऐसी बात हो तो हाउस को दोबारा बुला लीजिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अगर लीगल अड़चन हो जाएगी तो आप लीगली जो भी करना चाहें आपको पूरा अख्तियार है। मेरी रूलिंग यह थी कि House sands adjourned for half an hour. My ruling is final. (Interruptions)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हम तो आपको सुप्रीम मानते हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमें आपकी रूलिंग चाहिए।

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, please sit down. My ruling is final. (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, आप टेप–रिकार्डर बजवा कर देख लें, हम सब भी सुन लेंगे। (शोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं हैं मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। (शोर व विघ्न)

डा. मंलग सैन: स्पीकर साहब, (अपोजीशन लौबी की तरफ इशारा करते हुए) ये इतने आदमी क्यों खड़े कर दिए हैं? (शोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है, आपका काम नहीं है। यह मेरे आर्डर से मेरा वाच एंड वार्ड स्टाफ खड़ा है। (शोर व विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: क्या हमें बाहर फैकने के लिए खड़े किये गये हैं? (शोर व विघ्न)

डा. मंगल सैन: क्या हमें धमकाने के लिए खड़े किये गए हैं? पहले तो ये नहीं थे। (शोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह स्टाफ आपको धमकाने के लिए नहीं खड़ा किया गया है। यह तो जो मैम्बर्ज एक्सपैल्ड हैं, उनकी एन्ट्री रोकने के लिए खड़े हैं। मेरे आदेश से यह स्टाफ खड़ा किया गया है ताकि सस्पैंडिड मैम्बर्ज की एन्ट्री रोकी जा सके। (शोर व विघ्न)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने यह कब से समझ लिया कि मैम्बर आपका आदेश नहीं मानेंगे? (शोर व विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नहीं माना। अगर आप हाउस की कार्यवाही ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, इसमें मेरा कोई दोश नहीं है। (शोर व विघ्न) When both the hon. Members, Sarvshri Ganga Ram and Sant Kanwar entered the House, I told them repeatedly that please do not enter. (Interruptions.)

डा. मंगल सैन: मुझे आप किस तरह से कह रहे हैं कि मैं ध्यान से नहीं सुनता? (शोर)

श्री अध्यक्ष: क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके आदेश नहीं मानते। (शोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैन: आप यह कैसे फैसला कर लिया कि आपके आदेश नहीं मानेंगे? (शोर)

Mr. Speaker: Once they disobeyed me, I have to take full precautions to see that they do not re-enter.

डा. मंगल सैन: यदि उनका सिर फोड़ने की सलाह है तारे बता दीजिए? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सिर फोड़ने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, इन मैम्बर्ज को सस्पैड किया गया या एकसपैल किया गया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: सस्पैंड।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आपने अभी कहा था कि जो मैम्बर्ज एक्सपैल किए है, उनको अन्दर न आने के लिए यह स्टाफ नियुक्त किया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है, मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है। अगर वर्ड मिक्स–आप हो गए है तो इसमें कोई बात नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज: सस्पैंड किया है तो ठीक है। यदि एक्सपैल किया है तो हम कुछ और कार्यवाही करें। (शोर एवं विघ्न)

अध्यक्ष: मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप हाउस की कार्यवाही ध्यानूपर्वक नहीं सुनतीं, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुन लिया करें। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः आपने खुद ही एक्सपैल्ड कहा है, मैंने ध्यानपूर्वक क्या नहीं सुना? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः एक मोशन मूव हुआ था। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जब मोशन मूव हुआ था, उस समय मै। हाउस में नहीं थी। (शोर) We were not present in the House. (Interruptions)

श्री अध्यक्षः अगर आप हाउस में नहीं थीं, तो यह हाउस की गलती नहीं है। (शोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैंने तो आपके शब्दों को कहा है। (शोर एवं विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह प्रज्यूम कर लेना कि आपके आदेशों को मानेंगे नहीं, क्या यह उचित बात है? (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: No more discussion on it now.

ध्यानपूर्वक सूचना –

राज्य में चारे की कमी संबंधी

श्री अध्यक्षः मुझे चौधरी हर स्वरूप बूरा से फौडर की कमी के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस मिला है, मैं

इसे मन्जूर करता हूं, वे कृपया इसे पढ़ सकते हैं। (शोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने कल स्वामी अग्निवेश के बोर में एक बात कही थी। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: श्री हर स्वरूप बूरा (शोर) श्री हर स्वरूप बूरा (शोर एवं विघ्न)

श्री हर स्वरूप बूरा: (शोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने स्वामी अग्निवेश के बारे में ....(विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker: I think, Mr. Bura is not interested in reading out his Call Attention notice. Therefore, I disallow it.

वक्तव्य –

(i) परिवहन मंत्री द्वारा अन्धे व्यक्तियों को रोजगार तथा शिक्षा में विशेश सुविधाएं देने संबंधी

श्री अध्यक्ष: अब ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब श्री हीरा चन्द आर्य की * काल अटैंशन मोशन नम्बर 21 पर अपनी स्टेटमैंट देंगे। (शोर एवं विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): इस बारे में टिप्पणी इस प्रकार है:–

1. नेत्रहीनों को 5 प्रतिशत आरक्षण देना सम्भव नहीं है (शोर एवं विघ्न)

चौ. हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, इसी प्रकार का मेरा एक काल अटैंशन मोशन था (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो मास्टर हुक्त सिंह ने काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था वह मैंने मन्जूर कर लिया है उसका जवाब मंत्री जी आज देना चाहें तो दे दें अगर इसके बाद लिखित में भेजना चाहे तो लिखित में भेज दें। (शोर एवं विघ्न)

चौ. हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, यह दादरी सीमेंट फैक्टरी का मामला है। वहां मजदूरों को पीने के पानी की बहुत समस्या हो रही है। (शोर एवं विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसका जवाब हम चार दिन में लिखित रूप में भेज देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। (शोर एवं विघ्न)

श्री जगन नाथ: राज्य सरकार द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई है–

(क) ऐसी विशेश सेवायें जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ही हैं, के सम्बन्ध में आयु में 10 वर्श की सीमा तक छूट दी हुई है।

(ख) सरकारी हिदायतों के अनुसार विशेश नौकरियों के लिए रोजगार कार्यालयों के द्वारा सिफारिश किए गए अपंग व्यक्तियों (नेत्रहीन सहित) को रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाती है यदि वे वैसे योग्य पाए जाएं। इन नौकरियों की एक सूची नीचे दी जाती है।

(1) खड्डी

(2) खिलौने बनाना

* Call Attention motion appears in H.V.S. Debates Vol. I, No. 15, dated 20-3-1980 (First sitting)

(3) टोकरी बनाना

(4) कुर्सियां आदि की बुनाई का कार्य

(5) निवार बनाना

(6) हाथ की कताई

(7) हैन्ड पम्प का चलाना

(8) वादय संगीत

(9) वोकल संगीत

(ग) अपंग व्यक्तियों को (नेत्रहीन सहित) लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये की जाने वाली भर्ती के लिये परीक्षा/आवेदन–पत्र

(घ) नेत्रहीन व्यक्तियों को पहली श्रेणी से एम.ए. तथा इसके बाद तक भी छात्रवृति दी जाती है। वह छात्र जो निवासीय संस्थाओं में अध्ययन नहीं करते हैं शिक्षा प्राप्त करते है, उन्हें 40/– रू. से 100/– रू. तक प्रति माह और निवासीय संस्थाओं में रहने वालों को 50/– रू. से 125/– रू. प्रति मास छात्रवृति दी जाती है। यह दरे उन व्यक्तियों पर लागू हैं जिनको परिवारिक मासिक आय 500/– रू. तक है। जिनकी परिवारिक आय 501/– रू. और 750/– रूप्ये प्रति मास के बीच में है उनको इन दरों का 2/3 दिया जाता है और जिनकी पारिवारिक आय 751/– रू. से 1800 रू. प्रति मास के बीच हैं उन्हें इन दरों का 1/2 दिया जाता है। आठवीं कक्षा के ऊपर कोई छात्रवृति नहीं दी जाती यदि आय 750/– रू. प्रति मास से बढ़ जाती है।

(ड.) नेत्रहीन व्यक्तियों से केवल 25 प्रतिशत रेल किराया लिया जाता है।

(च) नेत्रहीन व्यक्तियों से केवल 50 प्रतिशत बस किराया लिया जाता है।

(छ) हाल ही में एक स्कीम बनाई गई है जिसके अनुसार अपंग व्यक्तियों जिसमें नेत्रहीन भी शामिल हैं और जो अपनी रोजी नहीं कमा सकते उनको 50/– रू. प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यदि किसी पुरूश की आयु 21 से 55 वर्श तथा महिला की आयु 18 से 50 वर्श की है।

(ज) नेत्रहीन के हित के लिए सरकार 2 संस्थाएं चला रही है। पानीपत की संस्था में आम पढ़ाई तथा सोनीपत की संस्था में उदयोगिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहां पर रहने, कपड़े तथा चिकित्सा की सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। इसके इलावा प्रत्येक संवासी पर 100/– रू. प्रति मास की दर से भोजन पर खर्च किया जाता है। नेत्रहीनों के कल्याण के लिये जो स्वच्छिक संस्थाएं कार्य कर रही है उन्हें भी सरकार द्वारा तदर्थ तौर पर सहायक अनुदान दिया जाता है।

(झ) अंगहीन सरकारी कर्मचारी (जिसमें नेत्रहीन भी शामिल हैं) और जिन्होंने 6–2–80 को एक मास की तदर्थ सेवा पूरी कर ली है उन्हें नियमित किया जा रहा है।

(3) ऊपर लिखी सुविधाएं तथा फायदों विशेश कर 50/– रू. प्रति मास की वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने या पिछड़ी जाति का मानने का कोई औचित्य नहीं है।

(4) नेत्रहीन व्यक्तियों के हित को निभाने के लिए कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग उनके कल्याण के कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए सक्षम है।

(5) राज्य सरकार ने इस समय अनुसूचित जातियों के लिए (20 प्रतिशत), पिछड़े वर्गों के लिए (10 प्रतिशत) और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित बच्चों के लिये (20 प्रतिशत) का आरक्षण श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार की नौकरियों में रखा हुआ है। कानून के अनुसार (50 प्रतिशत) आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। यहां यह वर्णन किया जाता है कि कुछ नौकरियों के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों को दूसरों के स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। इन विशेश नौकरियों की लिस्ट को बढ़ाया तथा दूसरी सुविधाओं के लिये समय समय पर विचार किया जा सकता है, यदि इसके लिये कोई औचित्य हो।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये गैलरीज खाली पड़ी हैं, क्या ये आपने खाली करवाई हैं? (शोर) ये क्यों खाली करवाई गई है? (शोर)

(ii) मुख्य मंत्री द्वारा रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण संबंधी

Mr. Speaker: Now a Minister will make a statement in reply to *Call Attention Motion No. 24 of Ch. Rizaq Ram. (Interruptions & Noise from the Opposition Benches.)

I am very grateful to Dr. Mangal Sein who had given me an assurance

*Call Attention Motion appears in H.V.S. Debates Vol. 1, No. 15. dated 20-3-1980 (First sitting).

of good conduct only yesterday. I am very grateful to him for observing the good conduct. (Interruptions.)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप प्वायंट आफर आर्डर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। You are denbying the fundamental right. (शोर) स्पीकर साहब, ये गैलरीज क्यों खाली करवाई गई है? (शोर)

Smt. Sushma Swaraj: Why have the people of Haryana been denied to watch the proceedings? (शोर)

मुख्यमंत्री:(चौ. भजन लाल): श्रीमान् स्पीकर महोदय, मैं चौ. रिजक राम के इस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव कि पंजाब सरकार ने हकीकी हिस्सेदारों के बीच मुनासिब समझौते के बिना थीन बांध पर निर्माण कार्य शुरू करने के समाचार हैं, का जवाब देने खड़ा हुआ हूं। यह मामला दर–असल महत्वपूर्ण है। सदन को यह यकीन होना चाहिए कि हमने किसी भी मामले में अपने अधिकारों का छोड़ा नहीं है बल्कि हमने उन असूलों को मनवा लिया है कि जिनके तहत रावी ब्यास सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली को बांटा जायेगा। हमें केन्द्रीय सरकार पर पूरा–पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि यह मामले सर्वमान्य असूलों के अनुसार निपटा लिये जायेंगे। (शोर)

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत सरकार ने रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के पूरे इस्तेमाल का हक प्राप्त किया था। 1955 के अन्तर्राज्य कारनामे के अनुसार रावी और ब्यास नदियों के फालतू पानी को इस प्रकार बांटा गया था।

पंजाब	59	(मिलियन एकड़ फीट)
जम्मू और कश्मीर	0.65	(मिलियन एकड़ फीट)

राजस्थान	8.00	(मिलियन एकड़ फीट)
पैप्सू	1.3	(मिलियन एकड़ फीट)

1956 में पंजाब और पैप्सू के विलय पर दोनों राज्यों के पानी के हिस्सों को भी इकट्ठा कर दिया गया। (शोर)

पुनर्गठन के बाद भूतपूर्व के हिस्से में आने वाले रावी–ब्यास के 7.20 मिलियन एकड़ फीट फालतू पानी में से हिरयाणा ने 4.8 मिलियन एकड़ फीट पानी का दावा किया है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 24 मार्च, 1976 और 1955 के कारनामें की शर्तो के अनुसार भूतपूर्व पंजाब के हिस्से में आने वाले 7.20 मिलियन एकड़ फीट पानी में से रावी–ब्यास के फालतू पानी मैं हरियाणा के हिस्से का निर्माण इस प्रकार किया गयाः–

ब्यास प्राजैक्ट के मुकम्मिल होने पर हरियाणा का हिस्सा	3.50 मिलियन एकड़ फीट
(ब्यास प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है)	
रावी पर कंजर्वेशन कार्य मुकम्मल होने पर पंजाब का	3.50 मिलियन एकड़ फीट

हिस्सा (थीन बांध)	
दिल्ली	0.20 मिलियन एकड़ फीट
जोड़	7.20 मिलियन एकड़ फीट

यही थीन बांध से प्राप्त होने वाले लाभों पर हरियाणा राज्ये के दावे का आधार है। (शोर)

हरियाणा की दलील है कि सारे सतलुज ब्यास सिस्टम को सिचाई तथा बिजली के विकास तथा बाढ़ रोकथाम कार्यक्रमों तथा अन्य लाभों के लिए इंटैग्रल पूल माना जाना चाहिए ओर इस सारे सिस्टम से होने वाले लाभों को सहभागी राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। इस दलील के अधीन वींन बांध, मुकेरिया, आनन्दपुर साहिब और अपर वारी दुआब नहर है हाइडल (चरण II) जैसी बिजली परियोजनाओं जोकि 'ट्रीटी वाटर' पर आधारित है को इंटैऐटिड सिस्टम का भाग माना जाता है। कोई भी राज्य इस पर अपना एक मात्र दावा नहीं कर सकता। पारियोजना कहां स्थापित है, इस बात का कोई महत्त्व नहीं है।

यह विशेश रूप से उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने स्वयं ही हरियाणा के निर्विवाद अधिकारों (unquestioned rights) को मान लिया था। 31 अक्तूबर, 1968 को पंजाब ने थीन बांध परियोजना की लागत के अनुमानों के लिए हरियाणा सरकार की

सहमति औपचारिक रूप से मांगी थी। इसी प्रकार भारत सरकार भी हरियाणा के अधिकारियों को हमेशा ही स्वीकार करती रही है। भारत सरकार द्वारा बुलाई गई सभी बैठकों में हरियाणा को हमेशा ही शामिल किया जाता रहा है। (शोर)

वाक–आउट

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है, यह ठीक नहीं, हम बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान एवं शोर)

श्री प्रीत सिंह: आन ए प्वायंट आर्डर सर। (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आर्डर सर। (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं, इस तरह कार्यवाही चलाने का क्या फायदा है? (शोर) इसके विरूद्ध हम वाक आउठ करते हैं। (शोर)

श्री कंवल सिंह: हिन्दुस्तान के अन्दर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। यह इस स्टेट के लिए खेद की बात है। आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। (शोर)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, we have no other alternative left with us but to stage a walk out.

(At this stage, the members of the Janata Party and Lok Dal present in the House staged a walk-out).

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (पुनरारम्भ)

चौ. भजन लाल: थीन बांध के निर्माण और उससे पैदा होने वाली बिजली के हिस्से के बारे में दिनांक 3.10.1977 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के सिंचाई एवं बिजली मंत्री भी शामिल थे। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद वह फैसला लिया गया कि थीन बांध का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाना चाहिए और भारत सरकार थोन बांध से पैदा होने वाली बिजली के बारे में राजस्थान और हरियाणा के दावों पर विचार करेगी। भारत सरकार डा. खोसला से भी सलाह लेगी, जिन्होंने ब्यास परियोजना यूनिट I और II में भूतपूर्व पंजाब राज्य और राजस्थान राज्य के बीच सिंचाई और बिजली की लागत के बंटवारे के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं। वह भी निर्णय लिया गया था कि निर्माण कार्य पंजाब राज्य द्वारा किया जायेगा। परन्तु नीति सम्बन्धी निर्णय लेने और इस परियोजना के निर्णय ओर परिचालन के दौरान पंजाब सरकार को हिदायतें देने के लिए अन्तर्राज्यीय कन्ट्रोल बोर्ड स्थापित किया जाएगा और इसमें अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय कृशि तथा सिंचाई मंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय ऊर्जा

मंत्री और सदस्यों के रूप में सम्बद्ध राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सिचाई तथा बिजली मंत्री होंगे।

मुख्यमंत्री हरियाणा ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि सम्बन्ध राज्यौं का एक अन्तर्राज्यीय कंट्रोल बोर्ड बनाया जाये और इस बात की तसल्ली की जाये कि इस बोर्ड में हरियाणा को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सम्बन्ध राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ 20.1.79 तथा 14.2.79 को दो बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के विचार–विमर्श के बाद प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि इन मामलों का निर्णय कानूनी अधिकारों के आधार पर किया जाना चाहिए। थीन बांध से प्राप्त होने वाली बिजली में राजस्थान और हरियाणा के हकों के बारे में उन्होंने भारत के अटारनी जनरल की राय लेने को कहा और उनकी सलाह पर अपना निर्णय देने का फैसला किया जो निर्णय सम्बन्ध राज्यों के लिए बाध्य होगा।

हरियाणा सरकार ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के राज्यों के साथ–साथ अपने दावे तथा अन्य राज्यों के दावों पर अपनी टिप्पणी भारत के अटारनी जनरल के पास 14–15 अप्रैल, 1979 को पेश की। हरियाणा सरकार ने अटारनी जनरल से अनुरोध किया है कि वे हरियाणा राज्य को थीन डैम प्रोजैक्ट के लाभ के अधिकारी राज्य (Beneficiary State) के रूप में मान्यता दे क्योंकि हरियाणा राज्य भूतपूर्व पंजाब राज्य

का उत्तराधिकारी राज्य है। तथापि इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा का पक्ष कानूनी अधिकारों और प्रचलित परम्परा के आधार पर सुदृढ़ है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में स्पश्ट घोशणा कर दी जायेगी और हरियाणा थीन बिजली में से अपनी पूर्व हक प्राप्त करने में सफल होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार शीघ्र ही इस मामले पर उचित और न्यायसंगत निर्णय लेगी।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग 3.10.1977 को हुई थी, जिसमैं प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि मामला अटारनी जनरल के सामने ओपीनियन के लिए आना है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि अटारनी जनरल की क्या राय है? क्या अटारनी जनरल ने इस बारें में कोई राय अभी तक दी है?

चौ. भजन लाल: अटारनी जनरल की राय अभी तक नहीं आई है। जब आयेगी बता देंगे, लेकिन हमें प्रधान मंत्री के फैसले पर पूरा भरोसा है कि हमें बिल्कुल इन्साफ मिलेगा। थींन

डैम की बिजली पर जितना हमारा हक बनता हैं, उससे हमें महरूम नहीं किया जायेगा।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, अटारनी जनरल के सामने हरियाणा सरकार का यह केस पुट करने के लिए क्या सिकी लीगल आफिसर की डियूटी लगाई ताकि केस को पुट करने में कोई कमी न रह सकें?

चौ. भजन लाल: दो बार मीटिंग्ज हुई हैं और केस अच्छी तरह पुट किया है। हम वाच कर रहे हैं कि हरियाणा के हितों को नुकसान न हो।

चौ. रिजक राम: 14–15 अप्रैल 1979 को अटारनी जनरल के सामने केस पुट किया है। इस बात को एक साल को चुका है और डैम की कंस्ट्रक्शन चालू है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में अटारनी जनरल की राय प्राप्त करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ताकि जल्दी फैसला हो सके और हरियाणा अपने हिस्से का पानी ले सकें।

चौ. भजन लाल: पंजाब सरकार ने अभी कोई काम शुरू नहीं किया है। हम इस मामले को सीरियसली टेक–अप करेंगे और प्रधान मंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं ताकि मामला जल्दी हल हो सके।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम 'सभा की बैठकें' के उपबन्धों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम 'सभा की बैठकें' के उपबन्धों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम 'सभा की बैठकें' के उपबन्धों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कमेटी आन गवर्नमैंट अश्योरैंसिज की 11वीं रिपोर्ट पेश करना

Ch. Birinder Singh (Chairman, Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present a typed copy of

the Eleventh Report (alongwiht its Appendix) of the Committee on Government Assurances of the Haryana Vidhan Sabha for the year 1979-80.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to lay on the Table the statement showing loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 31st January, 1980 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

बिल्ज –

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल 1980

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg tyo move –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 8 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 8 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट बिल) पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 8 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 8 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रौडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh): Sir, I beg to move–

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रौडयूज मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रौडयूज मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 7 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 7 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh): Sir, I beg to move–

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब कोआप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब कोओप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैक्स (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल इन्ट्रोडयूज करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि पंजाब कोओप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैक्स (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि पंजाब कोओप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैक्स (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि पंजाब कोओप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैक्स (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 24 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 24 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल इन्ट्रोडयूज करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि पंजाब खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि पंजाब खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि पंजाब खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमेंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 3 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 3 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल, 1980

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल इन्ट्रोडयूज करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल इन्ट्रोडयूज करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) थर्ड अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 4 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 से 4 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1980

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल इन्ट्रोडयूज करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 तथा 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि कलाजिज 2 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल बिल का अनैकिटंग फार्मूला तथा टाइटल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned sine-die.

11.59 A.M.

(The Sabha then adjourned sine-die.)